वार्षिक रिपोर्ट

2009-2010

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली - 110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
वार्षिक रिपोर्ट

2009–10

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
वार्षिक रिपोर्ट

2009–10

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

हमारा दृष्टिक्षेत्र

हमारे दृष्टिक्षेत्र में रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित आपदा प्रबंधन की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल हैं।

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
दृष्टिक्षेत्र		*v*
संक्षेपाक्षर		*ix*
1	प्रस्तावना	1
2	कार्यकलाप एवं उद्देश्य	5
3	विहंगावलोकन	7
4	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	11
5	आपदा पूर्व तैयारी एवं सामुदायिक जागरूकता	27
6	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएँ	37
7	सूचना, संचार एवं पूर्व–चेतावनी प्रणालियाँ	43
8	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बलः संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण	47
9	विकासात्मक योजनाओं में आपदा प्रबंधन को प्रमुख स्थान देना	63
10	प्रशासन एवं वित्त	67
11	अनुबंध - I	71
12	अनुबंध - II	73

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
ए.ई.सी.	परमाणु ऊर्जा आयोग
ए.आर.सी.	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए.आर.एम.वी.	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन
सी.बी.डी.आर.एम.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी एवं नाभिकीय
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सी.डी.	नागरिक रक्षा
सी.डी.एम.	रासायनिक आपदा प्रबंधन
सी.एम.ई.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय
सी.पी.एम.एफ.	केन्द्रीय अर्ध सैन्य बल
सी.आर.एफ.	आपदा राहत कोष
सी.एस.सी.	सामुदायिक सेवा केन्द्र
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ई.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
डी.आर.डी.ओ.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.ओ.सी.	संकटकालीन प्रचालन केन्द्र
ई.ओ.आई.	रुचि की अभिव्यक्ति
ई.आर.सी.	संकटकालीन कार्रवाई केन्द्र
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई.	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.एम.ए.	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
हजकेम	खतरनाक रसायन/आपत्तिजनक रसायन
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार समिति
आई.ए.एन.	एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क
आई.सी.पी.	घटना नियंत्रण चौकी
आई.सी.एस.	घटना कमान प्रणाली
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.एम.सी.	अंतर मंत्रालयीन समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
आई.एन.टी.ए.सी.एच.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक दाय ट्रस्ट
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
एम.ए.एच.	वृहत दुर्घटना संकट
एम.ए.एच.	बड़ी दुर्घटना का खतरा
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एम.सी.एम.	चिकित्सा तत्परता एवं वृहत आपातकालीन प्रबंधन
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.सी.एन.	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.डी.सी.आई.	राष्ट्रीय आपदा संचार आधारढांचा
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एफ.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एस.ए.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी सहभागिता
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.एस.एम.एच.एस.	मनो–सामाजिक सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ
पी.टी.एस.डी.	पोस्ट–ट्रॉमेटिक तनाव विकार
आर.एंड.डी.	अनुसंधान एवं विकास
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एस.एंड.टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एम.एच.पी.	शहरी मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम
यू.एस.ए.आई.डी.	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू.जी.	कार्य समूह

1 प्रस्तावना

प्रस्तावना

1.1 भारत विभिन्न प्रकार की आपदाओं व जोखिमों वाला देश है। इसका 58.6 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक भाग सामान्य से ले कर अति उच्च तीव्रता के भूकम्प वाला है; तथा इसकी भूमि का चार सौ लाख हैक्टेयर (12 प्रतिशत) बाढ़ प्रवण तथा नदी अपरदित क्षेत्र है, इसके कुल 7,516 कि.मी. तट में से 5,700 कि.मी. चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है। इसके कृषि योग्य भूमि का 68 प्रतिशत भाग सूखा–ग्रस्त है। इसका पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन और हिमस्खलन से प्रभावित रहता है। इसके अतिरिक्त, भारत रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) संकट और अन्य मानव निर्मित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है।

1.2 भारत में आपदाओं के जोखिम का विस्तार जनांकिकीय तथा सामाजिक–आर्थिक दशाओं में तेजी से होने वाले बदलाव अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण–क्षरण, जलवायु में परिवर्तन, भौमकीय खतरा, संक्रामक बीमारियों तथा महामारी से जुड़े खतरों से हुआ है। यह स्पष्ट है कि ये सभी बातें ऐसे हालात बनाने में सहायक हैं जहाँ आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी आबादी और दीर्घकालिक विकास को सीधे तौर पर गंभीरता से चुनौती देती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उत्पत्ति

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व की तरफ राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ध्यान दिया तथा अगस्त 1999 में उच्च अधिकार समिति का गठन और आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन प्रक्रमों का सुझाव देने के लिए गुजरात भूकम्प के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन भी किया। इसके पश्चात् हिन्द महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया और आपदा प्रबंधन को मजबूत किया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित उपागम कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेशानुसार किया गया। तत्पश्चात 23 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया गया और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत 27 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संघटन

1.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उपाध्यक्ष जनरल एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम, यू.वाई.एस.एम., ए.वी. एस.एम. (सेवानिवृत) हैं जिनके साथ आठ अन्य सदस्य हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कबीना मंत्री का दर्जा प्राप्त है और प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

1.6 तदनुसार, संस्थापक सदस्य एन.डी.एम.ए. में निम्नानुसार शामिल हुए:

क्र. सं०.	सदस्य का नाम	कार्य क्षेत्र	राज्य और संघशासित क्षेत्र
1.	ले.ज., डॉ. जे. आर. भारद्वाज, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त)	रासायनिक और जैविक आपदा, चिकित्सा पूर्व तैयारी और मनोवैज्ञानिक–सामाजिक देखभाल।	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, चंडीगढ़।
2.	श्री बी. भट्टाचार्जी	नाभिकीय, वैकिरणकी, पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी और संचार, जी.आई.एस. और आई.टी., माइक्रोजोनेशन, ग्लोबल वार्मिंग (भूमंडलीय ताप वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन।	राजस्थान, पंजाब, दादरा एवं नागर हवेली।
3.	डॉ. मोहन कान्डा	राष्ट्रीय नीति और योजनाएं, बाढ़, भूस्खलन एवं हिमस्खलन और सूखा।	पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम।
4.	प्रो. एन विनोद चंद्र मेनन	भूकंप, सुनामी और गैर–सरकारी संगठन।	तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
5.	श्रीमती पी. ज्योति राव	समुदाय की आपदा संबंधी तैयारी, शिक्षा पाठ्यक्रम और राहत का न्यूनतम स्तर।	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप।
6.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	चक्रवात, शहरी बाढ़, जोखिम स्थानान्तरण (बीमा) और व्यष्टि स्तरीय (सूक्ष्म) वित्तपोषण।	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, दमन और दीव।
7.	श्री के. एम. सिंह	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, जन चेतना (मीडिया)।	बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर।
8.	श्री जे. के. सिन्हा	सिविल डिफेंस, अग्नि शमन सेवा, एन.सी.सी., एन.एस.एस., एन.वाई. के.एस., घटना कमान प्रणाली, सार्वजनिक–निजी साझेदारी और प्रशिक्षण–कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)/टेबल टॉप अभ्यास।	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड।

क) जन. एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम., यू.वाई.एस.एम, ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष – 28 सितंबर, 2005

ख) लेफ्टि. जन. जे.आर. भारद्वाज, पी.वी.एस.एम., ए.वी. एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य – 28 सितंबर, 2005

ग) श्री के. एम. सिंह, सदस्य – 28 सितंबर, 2005

घ) प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन, सदस्य–28 सितंबर, 2005

ङ) डॉ. मोहन कान्डा, सदस्य – 05 अक्तूबर, 2005

च) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, सदस्य – 05 अक्तूबर, 2005

छ) श्रीमति पी. ज्योति राव, सदस्य – 14 अगस्त, 2006

ज) श्री बी. भट्टाचार्जी, सदस्य – 21 अगस्त, 2006

झ) श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य – 18 अप्रैल, 2007

1.7 एन.डी.एम.ए. की प्रथम बैठक के दौरान यह तय किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. की बैठकों हेतु स्थायी रूप से आमंत्रित गण होंगे ताकि उनमें अच्छा तालमेल व नीति–निर्णयों के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध रहे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सदस्यों का दायित्व

1.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम. ए.) के सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आपदा विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र का कार्यभार सौंपा गया है। एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों को उनके कार्यकलापों में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है।

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

1.9 मई, 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एन.डी.एम.ए के संगठनात्मक ढांचे को अनुमोदित किया गया। सचिवालय का अध्यक्ष एक सचिव हैं जिनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार हैं जिनमें एक वित्तीय सलाहकार है। दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) हैं जिनके साथ सहायक स्टाफ है। आपदा के एक विशेष प्रकार का विषय होने के कारण यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अनुबंध आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहें। संगठन को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों द्वारा भी सहायता मिलती है। एन.डी. एम.ए. सचिवालय के विशाल संगठन के बारे में 'प्रशासन एवं वित्त' पर दिए गए एक पृथक अध्याय में चर्चा की जा रही है।

एन.डी.एम.ए. की सलाहकार समिति

1.10 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड (7) भाग के उप–खण्ड (1) अनुसार दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन.डी.एम.ए ने अपने लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं:

1. सुश्री कुमुद बन्सल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
2. सुश्री सुषमा चौधरी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
3. प्रो. एस. के. दुबे, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।
4. प्रो. हर्ष गुप्ता, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन.जीआर. आई.), हैदराबाद।
5. श्री संजय हजारिका, मैनेजिंग ट्रस्टी, पूर्वोत्तर अध्ययन तथा नीति अनुसंधान केंद्र।

6. डॉ. पी. के. आयंगर, पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग।

7. ले. जन. दविन्दर कुमार, पी.वी.एस.एम., वी.एस. एम., बी.ए.आर.(सेवानिवृत्त)।

8. श्री आलोक मुखोपाध्याय, मुख्य कार्यकारी, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (वी.एच.ए.आई.)।

9. डॉ. आर. के. पचौरी, महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टी.ई.आर.आई.)

10. श्री आर.एस. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।

11. डॉ. डी.आर. सिक्का, पूर्व निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी।

12. ले.जन. वी. के. सूद, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त) पूर्व सेना उप–प्रमुख।

1.11 सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2007 को दी गई थी। सलाहकार समिति की समयावधि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की है। वर्तमान सलाहकार समिति की समयावधि को एक वर्ष अर्थात् 14 जून, 2010 तक बढ़ा दिया गया।

2 कार्यकलाप एवं उद्देश्य

एन.डी.एम.ए. के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संस्था के रूप में एन.डी.एम.ए. मौजूद है जिस पर आपदाओं पर समयबद्ध और कारगर कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने की जिम्मेदारी है। इसके विधायी कार्यकलापों में निम्न उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं:

(क) आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ बनाना;

(ख) भारत सरकार की राष्ट्रीय योजना और मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार तैयार योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकरण के पालन हेतु दिशानिर्देश तैयार करना;

(घ) विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा रोकथाम और प्रभावों के प्रशमन के लिए किए जाने वाले कार्यों के समेकन के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

(ड.) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वयन;

(च) आपदा प्रशमन कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था के लिए अनुशंसा करना;

(छ) केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार भयंकर आपदा से प्रभावित दूसरे देशों को इस तरह की सहायता प्रदान करना;

(ज) आपदा की चुनौती की स्थिति से निपटने के लिए अथवा जहां आपदा के खतरे की स्थिति में कार्रवाई आवश्यक हो वहां आपदा की रोकथाम या प्रशमन या पूर्व तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए दूसरे जरूरी कदम उठाना;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के क्रियाकलाप के लिए व्यापक नीतियाँ और दिशानिर्देश बनाना;

(ञ) चुनौतीपूर्ण आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के लिए अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा–निर्देशन या नियंत्रण करना;

(ट) आपदा की चुनौती की स्थिति या आपदा से बचाव तथा राहत सामग्री की व्यवस्था या आकस्मिक व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत के न्यूनतम स्तर के लिए दिशानिर्देशों की अनुशंसा करना;

2.2 एन.डी.एम.ए. को सभी प्रकार की आपदाओं चाहे वे प्राकृतिक हों या मानवजनित, से निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अभिकरणों की निकट संलिप्तता अपेक्षित है, जैसे आतंकवाद (बगावत से निपटना), कानून और व्यवस्था स्थिति, लगातार बम धमाकों, अपहरण, हवाई

दुर्घटनाएं, सी.बी.आर.एन. हथियार सिस्टम, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह आपातस्थिति, जंगल की आग, तेल क्षेत्र की आग और तेल बिखरना को मौजूदा तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकटकाल प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटाया जाना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, एन.डी.एम.ए. सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण व्यवस्था करेगा और तैयारी कार्यकलाप करेगा। प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं हेतु विविध संबंधित विषयों जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा संबंधित तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, चेतना सृजन आदि पर एन.डी.एम.ए. द्वारा संबंधित भागीदार अभिकरणों की भागीदारी से ध्यान दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधनों जो आपातकालीन सहायता कार्यकलापों के लिए पूरी समर्थता रखते हैं, को सभी स्तरों पर आसन्न आपदा/आपदाओं की आपातकालीन स्थिति में किसी भी वक्त उनको देखने वाले नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

एन.डी.एम.ए. का दृष्टिक्षेत्र

2.4 एन.डी.एम.ए. के अधिदेश के अनुसार दृष्टिक्षेत्र निम्नवत है:

"आपदा प्रबंधन–रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु–आपद एवं प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा सुनम्य भारत का निर्माण करना है"।

एन.डी.एम.ए. के लक्ष्य

2.5 एन.डी.एम.ए. के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, परिवर्तन और शिक्षा के माध्यम से समुत्थानशीलता, रोकथाम और पूर्व तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) नवीनतम प्रौद्योगिकी पारम्परिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) विकासमूलक नियोजन प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन सरोकारों को समाविष्ट करना।

(घ) सक्षम विनियामक माहौल और अनुपालनकारी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए सुचारु सांस्थानिक एवं प्रौद्योगिकी–वैधानिक ढाँचे को महत्त्व प्रदान करना।

(ङ.) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी तंत्र का सुनिश्चयन।

(च) प्रत्युत्तर–पूर्ण और सुनिश्चित संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता के जरिये समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणाली का विकास करना।

(छ) समाज के असुरक्षित वर्गों की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रभावी अनुक्रिया और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) सुरक्षित जीवन के सुनिश्चय हेतु आपदा–समुत्थानशील इमारतों और आवास के निर्माण को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ करना।

(झ) आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ उपयोगी एवं सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देना।

3 विहंगावलोकन

मुख्य पहल कार्य

3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. ने आपदा समुत्थानशीलता के लिए निम्नलिखित पहल कार्य किए:

(क) नीति, योजनाएं एवं दिशानिर्देश।

(ख) आपदा प्रबंधन का सदुपयोग एवं प्रशमन परियोजनाएं।

(ग) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रयास।

(घ) रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी एवं नाभिकीय आपदा के प्रति तैयारी।

(ड.) चिकित्सा संबंधी तैयारी।

(च) राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल–संकटकालीन कार्रवाई का सुदृढ़ीकरण।

(छ) क्षमता निर्माण।

(ज) कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)।

नीति, योजनाएं एवं दिशानिर्देश

3.2 गृह मंत्रालय और विभिन्न भागीदार अभिकरणों के बीच परामर्शों की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के बाद आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ और बाद में दिनांक 18 जनवरी, 2010 को एन.डी.एम.ए. की तीसरी बैठक के दौरान इसे माननीय प्रधानमंत्री ने जारी किया।

3.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एन.डी.एम.ए. को राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन करने तथा राष्ट्रीय नीति के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करने का अधिदेश दिया है। इस दिशा में, गृह मंत्रालय के परामर्श से यह तय किया गया कि राष्ट्रीय नीति का तीन भागों में सूत्रीकरण किया जाएगा : (i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन.ई.सी.) द्वारा राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की जानी है, (ii) संबंधित मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय प्रशमन योजना तैयार की जानी है तथा (iii) राष्ट्रीय क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार की जानी है।

3.4 वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान, एन.डी.एम.ए. ने तीन आपदा–विशिष्ट और विषयक दिशानिर्देश जारी किए जो नामतः (i) भूस्खलन एवं हिमस्खलन संबंधित प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, (ii) रासायनिक आतंकवाद आपदा संबंधी प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तथा (iii) मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक चिकित्सा सेवाओं पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश हैं। एन.डी.एम.ए. ने सूखा प्रबंधन, सुनामी और शहरी बाढ पर भी अनेक कार्यशालाओं का संयोजन किया। विविध संबंधित विषयों जैसे राहत का न्यूनतम स्तर, मृत जीवों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में एन.जी.ओ. की भूमिका और अन्य अनेक विषय पूर्णतः के विभिन्न चरणों में है। घटना संबंधी कार्रवाई प्रणाली पर दिशानिर्देश तैयार है और इनको जल्द ही तैयार किए जाने की संभावना है।

विकासात्मक योजना में आपदा प्रबंधन को प्रमुख स्थान देना

3.5 विकासात्मक योजना में आपदा प्रबंधन प्रक्रिया को प्रमुख स्थान देने का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि हमें न केवल संबंधित कार्यकलाप की आपदा संवेदनशीलता को कम करने के परिप्रेक्ष्य से बल्कि खतरे में इस कार्यकलाप के संभावित योगदान को कम से कम करने के परिप्रेक्ष्य से भी योजनाबद्ध ढंग से प्रत्येक कार्यकलाप पर बारीकी से नजर रखना है। प्रत्येक विकास योजना में प्रभाव आंकलन, जोखिम में कमी लाने के तत्वों और 'किसी को नुकसान न पहुँचे' के दृष्टिकोण को शामिल करना है। यह सुनिश्चित करना उद्देश्य होता है कि सभी नई बनी इमारतों तथा निर्माणाधीन इमारतों को आपदा समुत्थानशील होना चाहिए और जो पहले ही बनाई जा चुकी हैं उनका चयन करके प्राथमिकता के अनुसार जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।

प्रशमन परियोजनाएं

3.6 आपदा प्रबंधन के रूपान्तरण को पूरी तरह स्वीकार करते हुए एन.डी.एम.ए. अनेक आपदा प्रशमन परियोजनाएँ आरम्भ कर रहा है। विश्व बैंक की साझेदारी में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना अनुमोदन के अग्रिम चरणों में है जिसमें 13 चक्रवात संवेदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाएँ जो नियोजन के प्रणामी चरणों में हैं, इस प्रकार है: राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क, विद्यालय सुरक्षा हेतु प्रदर्शन परियोजना, राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना आदि। इसके अलावा माइक्रोजोनेशन, जोखिम आकलन और अति संवेदनशीलता तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मृदा कटाव सम्बन्धी अध्ययन भी आरम्भ किए गए हैं।

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रयास

3.7 सम्पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रयास को शामिल करने से आपदा प्रबंधन के प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सभी भागीदार अभिकरणों को एवं प्रभावित समुदाय को अक्षुण्ण विकास हेतु समुदाय में आपदा समुत्थानशीलता के लिए एक सक्रिय तथा सम्पूर्ण तरीके से कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। एन.डी.एम.ए. ने आपदा के सक्रिय एवं समग्र प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने हेतु प्रमुख समूह तथा विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। इन प्रमुख समूहों/विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को आई.आई.टी., भारतीय विज्ञान संस्थान तथा देश के अन्य शीर्ष अनुसंधान संगठनों के प्रख्यात सर्वोत्तम व्यावसायिकों में से चुना गया है। तैयार की गई कार्य योजना में आपदा पूर्व परिदृश्यों (उदाहरणार्थ प्रशमन परियोजनाएं, तैयारी कार्यक्रम आदि) में आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए संवेदनशीलता निर्धारण तथा जोखिम आंकलन और आपदा के दौरान (बचाव और राहत) तथा आपदा के बाद (पुनर्वास तथा पुनर्बहाली) के परिदृश्यों में आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.) के आधार पर सभी आपदा प्रबंधन कार्यकलापों को करने की परिकल्पना की गई है। संवेदनशीलता निर्धारण तथा जोखिम आंकलन के साधन से आपदा प्रबंधन को ठोस वैज्ञानिक आधार पर तैयार किए गए निर्णयों को लेने में सहायता मिलेगी।

सी.बी.आर.एन. संबंधित तैयारी

3.8 एन.डी.एम.ए. को देश में सी.बी.आर.एन. संबंधित संकटों के पहलुओं पर कार्य करने की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. ने संसद भवन की सुरक्षा के लिए सी.बी.आर.एन. सुरक्षा योजनाओं और कॉमनवेल्थ

गेम्स के लिए सी.बी.आर.एन. संबंधी खतरे को देखते हुए एक योजना की तैयारी पर काम किया। इस परियोजना के लिए विशेषज्ञों तथा भागीदार अभिकरणों की एक समिति का गठन किया गया।

चिकित्सा संबंधी तैयारी

3.9 लगभग सभी तरह की आपदाओं का परिणाम शरीर को चोट लगना होता है चाहे वे प्राकृतिक हो अथवा मानवजनित हो। अतः, प्रभावी कार्रवाई के लिए चिकित्सा संबंधी तैयारी तथा बड़ी दुर्घटना हेतु प्रबंधन के लिए विशेष आवश्यकता होती है। चिकित्सा सुविधाएं जैसे विशेष एम्बुलेंस, विशेष सी.बी.आर.एन. अस्पताल और विकिरण क्षति उपचार केंद्र को भी विकिरण से जलने तथा चोटों के कारण बड़े पैमाने पर हुए हताहतों के इलाज के लिए बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। चिकित्सा व्यवसायिकों का नेटवर्क तैयार करना, उनको विकिरण क्षति के प्रबंधन में प्रशिक्षण देना, ऐसे विशेषज्ञों का अद्यतन डाटाबेस बनाकर रखना और किसी संकट की स्थिति में इस विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रक्रम तैयार करना भी जरूरी है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल–संकटकालीन कार्रवाई का सुदृढ़ीकरण

3.10 अक्तूबर, 2009 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अप्रत्याशित बाढ़ आई। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित एक बल है, ने भयंकर पैमाने पर घटित इस त्रासदी का चुनौती से सामना किया और हजारों लोगों की कीमती जानें बचाकर बचाव और राहत अभियानों का कुशल संचालन किया। आपदाओं के दौरान विशेष कार्रवाई के अलावा, एन.डी.आर.एफ. ने वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य आपदा कार्रवाई बल, पुलिस और अन्य प्रथम कार्रवाईकर्ताओं को बुनियादी और प्रचालनात्मक स्तर का प्रशिक्षण देकर भी सामुदायिक प्रशिक्षण और तैयारी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया। एन.डी.आर.एफ. की टीमों को इस अवधि में आसन्न आपदा स्थिति के दौरान भी सक्रिय रूप से तैनात किया गया।

क्षमता निर्माण

3.11 एन.डी.एम.ए. ने उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में शिक्षा पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक बहुमुखी पहल को प्रारंभ किया है। एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यू.जी.सी. और ए. आई.सी.टी.ई. को भेजा गया था।

3.12 राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न पदाधिकारियों को अवगत कराने के लिए, एन.डी.एम. ए. ने सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के साथ एक संयुक्त उपक्रमण शुरू किया है। इन कार्यक्रमों में राज्य तथा जिला स्तर पर क्षेत्रीय स्तरीय अधिकारियों के लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स विशेष रूप से आयोजित कार्यशालाओं में संबंधित शिक्षा पाठ (कैप्सूल) का संचालन इन संस्थाओं में संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

3.13 जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की गई है।

3.14 एन.डी.एम.ए. 63 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण के समग्र उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

3.15 एन.डी.एम.ए. ने भारत में आपदा प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन के बारे में चेतना सृजन हेतु एक

बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। समाज के विभिन्न भागों पर फोकस करने और प्राकृतिक तथा मानव–जनित आपदाओं, दोनों के खतरों के प्रति उनको जागरूक बनाने के लिए एक संगठित अभियान शुरू किया गया था। देश के विभिन्न भागों की जनता तक पहुँचने के लिए राज्यों से भागीदारी करने का आग्रह भी किया गया। लक्षित श्रोतागण तक पहुँचने के लिए यात्राएँ, कांफ्रेंस, प्रस्तुतियाँ, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। इन अभियानों ने समुदाय तथा अन्य भागीदार अभिकरणों के बीच काफी जागरूकता फैलाई है।

कृत्रिम (मॉक) अभ्यास

3.16 सरकारी, पदाधिकारियों, उद्योगों, अन्य भागीदार अभिकरणों के बीच तैयारी संबंधी संस्कृति को आत्मसात् करने और समुदाय तक पहुँचने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार की आपदाओं–भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, आगजनी और रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं पर अनेक टेबल टॉप और कृत्रिम अभ्यास की योजना बनाई गई है। इन मॉक अभ्यासों ने लोगों में इसके प्रति दिलचस्पी, चेतना और उत्साह देखा गया और जमीनी स्तर पर लोगों द्वारा बड़े स्तर पर भागीदारी की गई। भागीदार अभिकरणों द्वारा प्रतिकारी कार्रवाई के लिए तैयारी और संबंधित प्रत्युत्तर कार्रवाई में मौजूद महत्त्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है। इससे भागीदार अभिकरणों को उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने, समन्वयन बढ़ाने और विभिन्न संकटकालीन सहायता संबंधी कार्यकलापों के लिए अच्छा तालमेल रखने में भी सहायता मिली।

प्रख्यात व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ परिचर्चा

3.17 इस रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अनेक प्रख्यात व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ परिचर्चा आयोजित की गई।

i. 08 अप्रैल, 2009 को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की परिचर्चा आयोजित की गई।

ii. एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 24 जुलाई, 2009 को एक परिचर्चा का आयोजन किया।

iii. एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2009 को 13वें वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचर्चा आयोजित की।

iv. दिनांक 18 अगस्त, 2009 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ परिचर्चा आयोजित की।

v. दिनांक 25 अगस्त, 2009 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ परिचर्चा आयोजित की।

vi. दिनांक 11 सितंबर, 2009 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के साथ परिचर्चा आयोजित की।

vii. एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 05 नवंबर, 2009 को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि सुश्री वालस्टोर्म के साथ परिचर्चा का आयोजन किया।

viii. दिनांक 30 नवंबर, 2009 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के साथ परिचर्चा आयोजित की।

4 नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

4.1 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति एक मूलभूत परिवर्तन दिखाती है जहाँ फोकस प्रारम्भिक "कार्रवाई–केंद्रित दृष्टिकोण" के स्थान पर अब आपदा के समग्र प्रबंधन की ओर हुआ है तथा यह नीति रोकथाम, पूर्व तैयारी तथा प्रशमन पर जोर देती है। नीति दस्तावेज सहयोग प्रक्रिया पर आधारित है तथा इसमें प्रासंगिक सुझाव और अनुशंसाओं को शामिल किया गया है जो आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने के हमारे राष्ट्रीय प्रयास को एक सत्य सुनिश्चित दस्तावेज मानने की सिफारिश करते हैं।

4.2 प्रारंभिक नीति दस्तावेज पर डॉ. एम.सी.आर. एच.आर.डी. इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में विस्तृत विचार–विमर्श हुआ और बाद में, बड़ी संख्या में भागीदार अभिकरणों के साथ कई परामर्श किए गए। नीति दस्तावेज पर गृह मंत्रालय में भी कई बार बारीकी से परिचर्चा की गई और अंतिम दस्तावेज में सभी सुझावों को शामिल किया गया है। नीति का अंतिम मसौदा, इससे पहले कि इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाए, अब राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में परिचालन के अंतर्गत है।

4.3 कुल मिलाकर, राष्ट्रीय नीति के आठ प्रारूप तैयार किए गए और 21 सितम्बर, 2006, 24 नवम्बर, 2006, 28 मार्च, 2007, 30 अप्रैल, 2007, 23 मई, 2007, 20 दिसम्बर, 2007 और 30 मई, 2008 को गृह मंत्रालय को सौंप दिए गए। गृह मंत्रालय के साथ व्यापक विचार–विमर्श करने तथा विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संज्ञान में लेने के बाद 19 अगस्त, 2009 को अन्तिम प्रारूप भेजा गया था जिसे प्रक्रियान्वित करने के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने 18 जनवरी, 2010 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तीसरी बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति जारी की।

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातें

4.4 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति में मुख्य रूप से तीव्रता से कार्य करने वाला इस प्रकार का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित कर इस प्रकार की आपदाओं जिनके कारण पहले जान व माल का भारी नुकसान हुआ तथा समाज का आर्थिक विकास प्रभावित हुआ था, से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाए गए। इससे इस तथ्य का आभास भी होता है कि आपदाओं द्वारा न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है बल्कि इनका असर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बुरी तरह प्रभावित करता है।

4.5 नीति दस्तावेज की मुख्य विचारधारा है कि एक ऐसा आपदा समुत्थानशील समुदाय होना चाहिए जिसमें एक नव सृजित आपदा प्रबंधन संरचना हो तथा जो अनेक क्षेत्रों के लिए मिल–जुल कर कार्य कर सके तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण की पूर्ति की जा सके।

4.6 विभिन्न स्तरों पर सामाजिक सहयोग करने पर जोर देकर आपदा प्रबंधन विकसित करने के लिए एक समग्र और एकीकृत कार्रवाई तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय नीति में आपदा प्रबंधन पर निम्न मुख्य बातों पर जोर दिया गया है:

(i) नीति, योजना, और निष्पादन के संपूर्ण समन्वयन सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।

(ii) सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।

(iii) पूर्व पहलों और सर्वोत्तम कार्यों का समेकन।

(iv) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अभिकरणों के साथ सहयोग।

(v) बहु–क्षेत्रीय तालमेल।

4.7 इस नीति दस्तावेज में संस्थागत, विधिक और वित्तीय प्रबंध; आपदा निवारण, प्रशमन और तैयारी, प्रौद्योगिकीय–विधिक प्रणाली, प्रत्युत्तर, राहत और पुनर्वास; पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली; क्षमता विकास; ज्ञान प्रबंधन और अनुसंधान तथा विकास। यह उन क्षेत्रों जहाँ कार्रवाई की आवश्यकता होती है तथा वे संस्थागत तंत्र में ध्यान केन्द्रित करता है जिनके माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है।

4.8 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति में समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) स्थानीय निकायों और सिविल सोसायटियों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का भी उद्देश्य है।

4.9 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति में इस पर जोर देकर उल्लेख किया गया है कि आपदा प्रबंधन जैसे विषय को अन्तर राज्य परिषद और जोनल परिषद में एक "स्थायी मद" के रूप में तथा राष्ट्रीय विकास परिषद में एक "विवरणात्मक (रिपोर्टिंग) मद" के रूप में शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय योजना

4.10 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 में प्रावधान है कि, ''पूरे देश के आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना तैयार की जाएगी जिसे राष्ट्रीय योजना कहा जाएगा। राष्ट्रीय योजना एन.ई.सी. द्वारा राष्ट्रीय नीति के हिसाब से तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किए जाने वाले आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के संबंधित विशेषज्ञ निकायों या संगठनों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की जाएगी।'' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एन.ई.सी. में हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय योजना तीन खण्डों में होगी। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी प्रकार की आपदाओं को कवर करने वाली एजेन्सियों से जुड़ी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी। एन.ई.सी. द्वारा गृह मंत्रालय में इस कार्रवाई योजना को तैयार करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय दल का गठन किया जा चुका है। प्रशमन और तैयार योजना को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य विशिष्ट आपदाओं को कवर करने वाली एजेन्सियों द्वारा तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी अनेक सेक्टरों/विषयात्मक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन योजनाओं का तैयार करने संबंधी दिशानिर्देशों

और प्रारूपों पर एन.डी.एम.ए. में विचार किया गया तथा गृह मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और एन.आई.डी.एम. को भेज दिया गया।

4.11 एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में दिनांक 14 जनवरी, 2009 और 15 अप्रैल, 2009 को राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए सुविधा समिति की दो बैठकें की गईं। जहाँ तक राष्ट्रीय मानव संसाधन और क्षमता निर्माण योजना का संबंध है, एन.आई.डी.एम. ने जून, 2010 तक कार्य पूरा करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम तैयार किया है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के राष्ट्रीय तत्परता और प्रशमन योजना के संबंध में एन.ई.सी. के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में गठित एक समिति उसकी प्रगति की समीक्षा कर रही है। निम्नलिखित आपदाओं के संबंध में योजना पूरी कर ली गई है:

- बाढ़–जल संसाधन मंत्रालय।
- सूखा–कृषि मंत्रालय।
- रेलवे–टिप्पणियाँ भेजी जा रही हैं।
- नाभिकीय–परमाणु ऊर्जा विभाग।

4.12 निम्नलिखित आपदा योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है –

- चक्रवात–पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- भूकंप–पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- सुनामी–पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- भूस्खलन–खान मंत्रालय के अधीन जी.एस.आई.।
- रासायनिक आपदा–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना

4.13 राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए सभी राज्यों को 14 अगस्त, 2007 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं। एन.डी.एम.ए. द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए जानकारी प्रदान करने वाले संस्थाओं की सेवाओं को किराया आधार पर लिया जा सके। दिल्ली, गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम और बिहार समेत 15 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए योजना प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। इन योजनाओं का एन.डी.एम.ए. में विश्लेषण किया जा रहा है तथा उससे प्राप्त निष्कर्षों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया जाएगा।

दिशानिर्देश

4.14 योजनाओं में उद्देश्यों को रूपांतर करने के लिए एन.डी.एम.ए. ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी) की मदद से अनेक प्रयासों को शामिल करते हुए एक मिशन आधारित तरीका अपनाया है। नीतिगत व्यवस्था के अंतर्गत दिशानिर्देशों के विकास में सभी दूसरे भागीदार अभिकरणों के साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों और राज्यों को शामिल किया गया। दिशानिर्देश को तैयार करने में 18 से 24 माह का न्यूनतम समय लगता है जो विषय की गहनता पर निर्भर करता है। दिशानिर्देश की तैयारी के तरीके में भागीदार अभिकरणों के साथ भागीदारपूर्ण और परामर्शी प्रक्रिया वाले 'नौ चरण' हैं।

4.15 इस प्रक्रिया में निम्न बातें शामिल है:

- केन्द्रीय मंत्रालयों; राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा

अब तक किए गए कार्यों/उपायों की आपदा–वार किए गए अध्ययन की त्वरित समीक्षा।

- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य का मार्ग–चित्र तैयार करना जिसमें विधिवत रूप से महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाया गया हो ताकि सुगमता से मानीटरिंग की जा सके।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में अल्प–आवधिक और दीर्घावधिक गंतव्यों की पहचान विधिवत महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और वांछनीय के रूप में प्राथमिकता दर्शाते हुए की जानी है।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं : अर्थात् क्या किया जाना है ? किस प्रकार किया जाना है ? यह कौन करेगा ? और कब तक कर लेगा?
- एक ऐसे संस्थानात्मक तंत्र को तैयार किया जाए जो सड़कों के मानचित्रों के कार्य–योजना के प्रचालनीकरण की देखभाल कर सके।

4.16 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं –

- एन.आई.डी.एम. के लिए दिशानिर्देश–13 अप्रैल, 2006।
- सिविल डिफेंस और अग्नि शमन सेवाओं का पुनरूद्धार–दिसम्बर, 2006।
- भूकंप–16 मई, 2007।
- रासायनिक (औद्योगिक) आपदा–28 मई, 2007।
- राज्य आपदा योजनाओं का सूत्रीकरण–16 अगस्त, 2007।
- चिकित्सा तैयारी तथा बड़ी दुर्घटना संबंधी प्रबंधन–14 नवम्बर, 2007।
- बाढ़–17 जनवरी, 2008।
- स्वास्थ्य के अलावा देशव्यापी तैयारी पर दिशानिर्देश–22 अप्रैल, 2008।
- चक्रवात–24 अप्रैल, 2008।
- जैविक आपदाएं–22 अगस्त, 2008।
- नाभिकीय और वैकिरणकी संकट (अवर्गीकृत, भाग–I)–24 फरवरी, 2009।

वर्ष 2009–10 के दौरान तैयार और जारी किए गए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–भूस्खलन और हिमस्खलन का प्रबंधन

4.17 भूस्खलन एक अन्य प्राकृतिक आपदा है जो देश के 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैले क्षेत्र की 15 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। भूस्खलन विशेष तौर पर मानसून ऋतु के दौरान सक्रिय होते है तथा जो जान व माल, खेती योग्य भूमि और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा वाहनों के आवागमन को भी रोकते है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तथा लोगों के दैनिक जीवन में अभूतपूर्व कठिनाइयाँ पैदा होती है। हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से भूकंपों के कारण भूस्खलन होते हैं। कई बार भूस्खलनों के कारण नदियों का प्रवाह रूक जाता है जिसके परिणामस्वरूप कृत्रिम बांध बनने से अधिक पानी एकत्र हो जाने के कारण निचले क्षेत्रों में अचानक पानी बहने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। भूस्खलनों के द्वारा जलाशयों में बड़ी मात्रा में तलछट जमा हो जाता है फलस्वरूप पन बिजली एवं अन्य बहु–उद्देशीय परियोजनाओं की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

हिमस्खलनों से हिमालय क्षेत्र में रहने वालों और इस क्षेत्र के पार के क्षेत्रों में शीत ऋतु के महीनों में गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती रही है।

4.18 इस तरह के ऐसे अनेक सरकारी संगठन और संस्थाएं हैं जो भूस्खलनों और हिमस्खलनों के अध्ययन और उनका प्रबंधन करने के कार्य में लगे हुए हैं। इनमें से अधिकांश संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, फलस्वरूप डेटा का आदान–प्रदान नहीं होता तथा एक ही कार्य को बार–बार किया जाता है। अतः भूस्खलनों और हिमस्खलनों से उत्पन्न खतरों का सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इनकी व्यापक जांच–पड़ताल तथा इनका प्रबंधन करना आवश्यक है। ठीक इसी कारण से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन और हिमस्खलनों के संबंध में डॉ० मोहन कान्डा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के नेतृत्व में विभिन्न भागीदार अभिकरणों के साथ परामर्श करके दिशानिर्देश तैयार करना शुरू किया। इन दिशानिर्देशों को 23 जून, 2009 को केन्द्रीय खान मंत्री श्री बी.के. हाण्डिक द्वारा जारी किया गया।

केन्द्रीय खान मंत्री श्री बी.के. हाण्डिक दिनांक 23 जून, 2009 को नई दिल्ली में भूस्खलन और हिमस्खलन प्रबंधन संबंधित दिशानिर्देश जारी करते हुए।

4.19 इन दिशानिर्देशों में संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपायों की वर्णित समय–सारणी का नियामक और गैर–नियामक ढांचा मौजूद है। इन दिशानिर्देशों की मुख्य बातों में इन जोखिमों के घटने की तालिका को बनाना और उसको निरंतर अद्यतन करना, नये और मौजूद कोडों का विकास और संशोधन करना और भूस्खलन और हिमस्खलन पर भौगोलिक जांच–पड़ताल की प्रक्रिया, बड़े और अध्ययन पैमाने पर जोखिम वाले क्षेत्र का मानचित्रण, तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों और स्थिरता नीतियों स्थल–विशिष्ट अध्ययन करना, पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण, समुदायों और संगठनों का क्षमता विकास, तथा विभिन्न भागीदार अभिकरणों के बीच चेतना और तैयारी उत्पन्न कराना, शामिल हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन अनुसंधान अध्ययन और प्रबंधन केन्द्र को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश भी की गई है।

भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन संबंधित दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

4.20 इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई है:

i. देश को प्रभावित करने वाली भूस्खलन की घटनाओं की तालिका बनाना और उनको निरन्तर अद्यतन करना।

ii. सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के विचार–विमर्श से क्षेत्रों की पहचान और प्राथमिकता दर्शाने के बाद बड़े और मध्यम पैमाने पर भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना।

iii. चुनिंदा भूस्खलनों का व्यापक अध्ययन और मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करना तथा उनकी स्थिरता की स्थिति का मूल्यांकन

करना और अन्त में जोखिम का आकलन करना।

iv. स्खलनों की स्थिरता के लिए गति निर्धारण उदाहरण बनाना तथा जोखिम के आंकलन और लागत–लाभ अनुपात के अनुसार पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित करना।

v. बड़े भूस्खलन वाले स्थानों का स्थल विशिष्ट अध्ययन पूरा करना तथा उपचारात्मक उपायों की योजना बनाना तथा इन्हे जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना।

vi. भूस्खलन से उत्पन्न जोखिमों के बारे में जनता के विभिन्न वर्गों में चेतना और तत्परता लाने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना।

vii. भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों में भूस्खलन शिक्षा, पेशेवरों को प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास सिखाना।

viii. प्रशमन और उस पर जवाबी कार्रवाई के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण को अधिक कारगर बनाना।

ix. भूस्खलन अध्ययनों पर नये कोड और दिशानिर्देश तैयार करना तथा मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन करना।

x. एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय भूस्खलन अनुसंधान, अध्ययन और प्रबंधन केन्द्र स्थापित करना।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–रासायनिक आतंकवाद आपदा प्रबंधन

4.21 राष्ट्र–विरोधी तत्वों द्वारा आतंकवाद अपनाना सहज और कम लागत वाला कृत्य प्रतीत होता है। वे न केवल नये–नये तौर–तरीके अपना रहे हैं बल्कि और अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य जनता में भय पैदा करना, ध्यान आकर्षित करना तथा विधिवत् रूप से गठित सरकार अथवा किसी संगठन को उसका कार्य करने से रोकना है। रासायनिक आतंकवादी आक्रमण एक आम आतंकवादी आक्रमण से अलग होता है क्योंकि स्वास्थ्य पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे घातक चोट लग सकती है, जनता में हड़बड़ी पैदा हो सकती है तथा समाज की नैतिकता प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में एन.डी.एम.ए. ने ले. जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज (सेवानिवृत्त) के मार्गदर्शन में रासायनिक आतंकवाद आपदा प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

4.22 केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी ने 04 अगस्त, 2009 को इन दिशानिर्देशों को जारी किया। इन दिशानिर्देशों में आपदा प्रबंधन चक्र के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जिनमें निवारणात्मक उपाय, यथा निगरानी और चौकसी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जोखिमों को कम करना, मानव संसाधनों का क्षमता निर्माण और बुनियादी विकास तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तैयार करना शामिल है। दिशानिर्देशों

श्री ए.के. एंटोनी, केन्द्रीय रक्षा मंत्री, 4 अगस्त, 2009 को रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी करते हुए।

में संस्थापनों की सुरक्षा और निगरानी उपायों, रसायनों का उत्पादन, प्रयोग और भण्डारण, रसायनों के लाने–ले जाने संबंधी सूचना और सुरक्षा मजबूत करना तथा आतंकवाद निरोधी उपायों को मजबूत बनाना शामिल है। जिसमें रसायनों की सुरक्षा, जवाबी कार्रवाई तथा आपातकालीन चिकित्सा संसाधन तथा सामुदायिक तंत्र संबंधी मुद्दे शामिल हैं।

रासायनिक आतंकवाद आपदा प्रबंधन पर दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

4.23 इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई:

i. जोखिम प्रबंधन ढांचे और पर्याप्त प्रयोगशाला सहायता युक्त एक एकीकृत रसायन निगरानी प्रणाली का विकास।

ii. भौतिक और सामूहिक संरक्षण, उन्नत जाँच प्रौद्योगिकियाँ, अस्पताल के अंदर और राज्यों के बीच समुचित संपर्क वाली चल रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित करना।

iii. सभी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला प्राधिकरण के साथ जोड़ कर ज्ञान प्रबंधन केन्द्रों के नेटवर्क को विकसित करना जिससे कि रासायनिक आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों को प्रभावशाली ढंग से कम किया जा सके।

iv. विषैले औद्योगिक रसायनों/सामग्री, रासायनिक युद्ध संबंधी सामान आदि समेत उनकी विशेषताओं और उनके फैलाने के तरीकों; प्रदूषित करने के विभिन्न कारकों और तरीकों; व्यक्तिगत संरक्षण उपकरणों का प्रयोग (पी.पी.ई.); रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए ट्रायज के सिद्धांतों और रासायनिक प्रबंधन संबंधी दुर्घटनाओं के लिए उपचार संबंधी नयाचार की जानकारी देकर चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

v. अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना, निर्धारित किए गए अस्पतालों का स्तर बढ़ाना, चल अस्पताल और चल चिकित्सा दलों का विकास करना जिनमें अनिवार्य दवाओं, एंटीबायटिक, पी.पी.ई. आदि सहित संचार सुविधा तथा पर्याप्त चिकित्सा संभारतंत्र, प्रदान करने का काम प्रत्येक स्तर पर प्राथमिकता आधार पर शुरू किया जाएगा।

vi. रसायनों के पीड़ितों के प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन के लिए रोग–प्रतिरोधी सहित बायोमार्कर्स, बायो इण्डिकेटर्स, और चिकित्सा मध्यस्थों (थेरेपेटिक इंटरवेंशंस) को तैयार करना।

vii. एक चौकस तंत्र, स्थानिक मूल्यांकन, घटना की अधिसूचना, घटना–स्थल पर त्वरित कार्रवाई, विभिन्न भागीदार अभिकरणों अथवा सेवा प्रदायकों जिनमें एम.एफ.आर./क्यू.आर.एम.टी., रासायनिक पीड़ितों को बाहर निकालना, तथा अस्पताल में उपचार देने सहित रासायनिक कारकों के दीर्घावधिक प्रबंधन समेत जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

viii. राहत और पुनर्वास हेतु समुचित प्रावधान, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान देने सहित, मानसिक सामाजिक समर्थन और मानसिक

स्वास्थ्य सुरक्षा, मीडिया प्रबंधन सामुदायिक तत्परता, भारत आपदा प्रबंधन नेटवर्क (आई.डी. आर.एन.) समेत सूचना नेटवर्किंग प्रणाली।

ix. प्राथमिक कार्रवाई करने वालों के लिए संचार नेटवर्क उपलब्ध कराना, भण्डारण और आपूर्ति शृंखला तथा ब्लड बैंक के साथ–साथ आपदा के पश्चात् चिकित्सा दस्तावेज तथा रोग–विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण कराना।

x. इन दिशानिर्देशों के एक कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन के अध्ययन से सदैव तत्परता की स्थिति तैयार हो सकेगी जिससे रासायनिक (आतंकवाद) आपदाओं से बचा जा सकेगा।

मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दिशानिर्देश (पी.एस.एस.एम.एच.एस.)

4.24 आपदाओं के बाद दुखों की झड़ी लग जाती है जिससे जीवित बचे पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है परिणामस्वरूप सामाजिक अपंगता होने से सम्पूर्ण जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह की स्थिति से निपटने में मनो–सामाजिक समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य सेवा की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार के समर्थन से व्यक्तियों, परिवारों और समूहों को मानवीय क्षमताओं को बनाने, सामाजिक संबंध, मान–मर्यादा और सांस्कृतिक एकता जीवित करने में मदद मिलती है। दुर्भाग्यवश, किसी आपदा से निपटने में आम तौर पर इन बातों की अनदेखी कर दी जाती है। परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण मनो–सामाजिक समर्थन तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर तैयार किए गए दिशानिर्देश, एन.डी.एम.ए. के लिए चिंता का विषय रहे हैं ताकि सभी प्रकार की आपदाओं में त्वरित कारगर कार्रवाई करने में समुत्थानशीलता लाई जा सके। इस विषय पर दिशानिर्देशों को इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड एलाइड साइंसेज तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान संस्थान तथा इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों, मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ ले.ज. (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के नेतृत्वाधीन विचार–विमर्श करके तैयार किया गया है। इन दिशानिर्देशों को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा 20 जनवरी, 2010 को जारी किया गया था।

श्री गुलाम नबी आजाद, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 जनवरी, 2010 को मनो–सामाजिक समर्थन तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर दिशानिर्देश जारी करते हुए।

4.25 मनो–सामाजिक समर्थन का व्यापक तौर पर अभिप्राय, आपदाओं के बाद उत्पन्न होने वाली अनेक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटना है। मनो–सामाजिक सहायता से वास्तविक समस्याओं से निपटना और आपदा प्रभावित समुदाय पर पड़ने वाले बुरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों से बचाना है। इन दिशानिर्देशों के मुख्य घटकों में मनो–सामाजिक सहायता और मासिक स्वास्थ्य सेवाओं को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ना, सभी स्तरों पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना तथा शिक्षा प्रणाली में निवारणात्मक और प्रशमन उपायों को

शामिल करना, सामुदायिक स्तर पर कार्यकत्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों और विभिन्न पेशेवरों के प्रशिक्षण देना तथा राहत शिविरों में मनो–सामाजिक प्राथमिक उपचार प्रदान करना है। इन दिशानिर्देशों में अनुसंधान और विकास पर अधिक बल दिया गया है ताकि सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर कारगर मदद दी जा सके, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाएं, प्रक्रियाबद्ध दस्तावेज और प्रक्रियाएं शामिल की जा सकें तथा दीर्घावधिक मानसिक स्वास्थ्य मध्यस्थता (इंटरवेंशन) के प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं की पहचान की जा सके।

मनो–सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

4.26 मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दिशानिर्देशों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

i. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों (एन.एम.एच.पी.), जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) में मनो–सामाजिक सहायता को शामिल करना तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित पी.एस.एस. एम.एच.एस. की राष्ट्रीय उप–समिति के मार्गदर्शन के तहत इस प्रकार की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विधिक दस्तावेज तैयार करना।

ii. सभी स्तरों पर मानक प्रशिक्षण प्रथाओं के द्वारा शैक्षणिक और अन्य नोडल संस्थाओं की मदद से कुशल और सक्षम मानव संसाधनों को तैयार करना।

iii. आपदाओं के मनो–सामाजिक प्रभावों के दुष्प्रभावों को कम करने और उनसे बचाव के लिए शिक्षा प्रणाली में जानकारी उपलब्ध कराना। सामाजिक कार्यकत्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों और विभिन्न पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण देना ताकि आपदा के बाद पी.एस.एस.एम.एच.एस. उपलब्ध कराई जा सके।

iv. पीड़ितों की मनोस्थिति को मनो–सामाजिक प्राथमिक उपचार उपलब्ध करा कर तथा उसके बाद राहत–शिविरों में मनो–सामाजिक सहायता देकर सामान्य किया जा सकता है। बाद में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के दौरान मनो–सामाजिक सहायता को समग्र समुदाय विकास में सम्मिलित किया जाएगा।

v. अनुसंधान और विकास कार्यों का कारगर ढंग से विकास करके सामाजिक आवश्यकताओं, मौजूदा सर्वोत्तम सामाजिक प्रथाओं के साथ पेशेवर सेवाओं को शामिल करके, तथा असुरक्षित और रोगविज्ञान के ऐसे पहलू जो किसी आपात स्थिति के मनो–सामाजिक प्रभाव को बढ़ाते हों, पर ध्यान दिया जाएगा।

vi. प्रक्रियाबद्ध तरीके से प्रलेखन, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के तरीकों, राहत, परिवहन, असुरक्षित समूहों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, समुचित बुनियादी ढांचे के साथ मनो–सामाजिक प्राथमिक उपचार को योजनाबद्ध उद्देश्यों के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

vii. अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना में पी.एस. एस.एम.एच.एस. शामिल करना, कारगर संचार और नेटवर्किंग, परामर्शी–सत्र के

क्षेत्रों, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा के नेटवर्क में संसाधनों को एकजुट करना तथा राज्य/जिला स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन योजना में सभी गंभीर मुद्दों की पहचान करना।

viii. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के लिए नामित–निजी भागीदारी के मॉडल को तैयार करके, परीक्षण और उसका अभ्यास किया जाएगा।

ix. मानकीकृत और अभिकल्पित आवश्यकता के मूल्यांकन के माध्यम से दीर्घावधिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यों का प्रबंधन शुरू किया जाएगा तथा उसके बाद विशिष्ट मध्यस्थ मापदण्डों (इंटरवेंशन माड्यूल्स) का वैज्ञानिक अध्ययन, मूल्यांकन और विकास किया जाएगा।

x. 'सभी खतरों से बचाव' संबंधी आपदा प्रबंधन कार्रवाई पर आधारित आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय बातों को अपनाना, संवेदनशील समूहों का विशेष ध्यान रखना, ध्यान रखने वालों की देखभाल करना।

4.27 आपदाओं में पी.एस.एस.एम.एच.एस. पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप, एन.डी.एम.ए. की देखरेख के अधीन एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस., बंगलूर द्वारा एक परियोजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत मंगलौर हवाई दुर्घटना के पीड़ित सभी 150 परिवारों के लिए मनो–सामाजिक सहायता दी जाए तथा एक वर्ष की अवधि तक उनकी मनो–सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा।

4.28 आपदाओं के दौरान मारे जाने वाले लोगों के शवों के निपटान, आपदा राहत में खाने–पीने, जल, साफ–सफाई स्वच्छता के बारे में आने वाले राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रतिपादन के अंतर्गत दिशानिर्देश

आपदाओं के उपरान्त मृतकों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को तैयार करना

4.29 भारत, प्राकृतिक एवं मानव–जनित, दोनों प्रकार की आपदाओं का शिकार होता रहा है तथा इनके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शव व मरे हुए जानवर होते रहे हैं। मृतकों का प्रबंधन, जो कि एक विशाल सामाजिक और सरकारी जिम्मेदारी है, में आपदा के बाद की अवधि के दौरान मृतकों का सही–सही ढंग से निपटारा करना बताया गया है जिससे कि जीवित बचे लोगों द्वारा झेले जाने वाली प्राकृतिक, मनो–सामाजिक, सैद्धान्तिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं को कम से कम किया जा सके। यह कुशल पेशेवर लोगों और अकुशल विभिन्न क्षमता के मदद करने वालों द्वारा किए जाने वाला एक बहु–स्तरीय और बहु–विषयक कार्य है। इस राष्ट्रीय दिशानिर्देश का उद्देश्य मृतकों के शवों और पशुओं के शवों को आपदा के बाद उचित ढंग से प्रबंधन करने की मानक प्रक्रिया को स्थापित करना है।

4.30 मृतकों के प्रबंध पर नीति में अनिवार्य बातें हैं (i) मृतकों के शवों को उचित रूप से बरामद करना, निकालना तथा उनका रखरखाव, (ii) मृतक की सही–सही पहचान करना जो कि शव के उचित निपटान के लिए, वित्तीय मुआवजा देने के लिए, सम्पत्ति अधिकारों, उत्तराधिकार तथा पुनर्विवाह संबंधित मामलों में अत्यंत आवश्यक है, (iii) धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय और मनो–सामाजिक आवश्यकताएं जो समाज को प्रभावित करती है; के अनुसार शवों का सम्मान–पूर्वक निपटान, (iv) सही सूचना प्रबंधन जिसमें मृतक की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के साथ–साथ मीडिया के माध्यम से त्वरित, सटीक और उचित सूचना का प्रसार करना शामिल है।

4.31 इन दिशानिर्देशों का प्रयोग निम्नलिखित कार्रवाई–कर्ताओं और सेवा प्रदायकों द्वारा किया जाएगा (i) सभी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रशासकों द्वारा (ii) मृतकों के प्रबंधन संबंधी कार्य करने वाले पेशेवरों सहित विधि–विज्ञान (फोरेंसिक), चिकित्सा कार्यों से जुड़े वे व्यक्ति जो मृतकों से संबंधित रख रखाव, उनकी पहचान करने तथा उनका निपटान करने का कार्य करते हैं (iii) सर्वप्रथम कार्य करने वालों जैसे कि पुलिस, अग्नि–शमन सेवाएं, सिविल डिफेंस, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल तथा अन्य अर्ध–सैनिक बलों सहित मृतकों के प्रबंधन कार्य से सीधे अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े अन्य सभी भागीदारों (iv) गैर–सरकारी संगठनों और मीडिया सहित पूरा समुदाय।

4.32 इन दिशानिर्देशों के अन्तिम प्रारूप पर विस्तारित प्रमुख समूह द्वारा 25 मार्च, 2010 को चर्चा की गई तथा 10 अप्रैल, 2010 तक इस पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं थीं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–आपदा के दौरान भोजन, जल, चिकित्सा कवर और सफाई हेतु राहत के न्यूनतम मानक

4.33 इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए 12–14 जनवरी, 2009 के दौरान एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपदाओं के दौरान राहत देने हेतु भोजन, जल, चिकित्सा कवर और स्वच्छता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया जा रहा हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इन दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप दान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अने सम्मेलन आयोजित किए गए।

4.34 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्फियर, इंटर–एजेन्सी ग्रुप असम, कंसर्न वर्ल्डवाइड और सेव द चिल्ड्रन बी.आर.बी. के सहयोग से उत्तर–पूर्व डायोसेशन सोशल फोरम, गुवाहाटी, असम में 1–3 अप्रैल, 2009 के दौरान एक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मानवीय आधार के विभिन्न पहलुओं पर जन जागृति और संवेदनशीलता के न्यूनतम मानक तैयार करना था। अन्य मुख्य उद्देश्यों में न्यूनतम मानकों के संबंध में साझेदारों की सिफारिशें और उनके विचार प्राप्त करना तथा असम के संदर्भ में न्यूनतम मानक तैयार करना था। इस सम्मेलन द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा, पौष्टिकता और खाद्यान्न सहायता, जलापूर्ति, स्वच्छता और सफाई संवर्धन, आवास, समझौता और खाद्यान्न इतर मदें, तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित आपदा कार्रवाई के विभिन्न क्षेत्रों में सिफारिश करने में सफलता मिली। इस सम्मेलन में वर्ल्ड विज़न इण्डिया, सेवा केन्द्र, ग्रामीण स्वयं सेवा केन्द्र, एन.ई.आई.सी.ओ.आर.डी., एन.ई.ए.डी.एस., बॉस्को रीच आउट, आई.जी.एस.एस. एस., एन.ई.डी.एस.एफ., मोरीगाँव जिला पुथिभोरल संस्था, इको सिस्टम इण्डिया, जी.वी.एम., एन.डी.एम. ए. एक्शन एड, वी.आर.एस., कंसर्न वर्ल्डवाइड, स्फियर इण्डिया आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4.35 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्फियर, इंटर एजेंसी ग्रुप, बिहार, कंसर्न वर्ल्डवाइड और सेव द चिल्ड्रन बी.आर.बी. के साथ मिल कर होटल होलीडे रिसोर्ट, पटना, बिहार में 7–9 अप्रैल, 2009 के दौरान एक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन

में यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, करीटास इण्डिया, आई.डी.एफ., निदान, अदिति प्लान, सीड्स, सेवदचिल्ड्रन, यू.एन.डी.पी., समर्पण, उन्मुक्त, महिला विकास आश्रम, समता ग्राम सेवा संस्थान, दशरा, नवजागृति एन.डी.एम. ए., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम.एस. रमैय्या मेडिकल कॉलेज, इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4.36 एन.डी.एम.ए. ने स्फियर, राज्य सरकार, इंटर एजेन्सी ग्रुप पश्चिम बंगाल, कंसर्न वर्ल्डवाइड और सेव द चिल्ड्रन बी.आर.बी. के साथ मिलकर सेवा केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 21–23 अप्रैल, 2009 के दौरान एक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में ए.बी.सी.डी., आपदा प्रबंधन निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, सिविल डिफेंस, जी.यू.पी., आई.सी.ओ.डी., सी.सी. के., पी.यू.एस., सेवा केन्द्र, आई.आर.सी.एस., अनुज्ञालय, एस.एस.यू.पी., ए.सी.टी.ई.डी., एस.एम. एस., एस.डब्ल्यू.आई., एस.पी.ए.डी.ई., एन.डी.एम.ए. , जे.एन.यू., कंसर्न वर्ल्डवाइड, यूनिसेफ, प्लान, सी. आर.एस., ई.एफ.आई.सी.ओ.आर., इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4.37 एन.डी.एम.ए. ने स्फियर इण्डिया, जो भारत में मानवीय एजेंसियों का एक राष्ट्रीय गुट है, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, यूनिसेफ, और जम्मू व कश्मीर राज्य अन्तर एजेंसी ग्रुप के साथ मिलकर आपदा राहत के दौरान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में 21–23 जुलाई, 2009 तक भोजन, जल, चिकित्सा कवर, स्वच्छता और सफाई के न्यूनतम मानकों पर एक तीन–दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को विभिन्न साझेदारों द्वारा उच्च स्तर की प्रशंसा प्राप्त हुई। इस सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में विभिन्न सेक्टरों द्वारा तथा एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर सिफारिशें प्राप्त हुई। सम्मेलन में साझेदारों के विभिन्न ग्रुपों द्वारा सेक्टोरल थीम पर (1) सभी सेक्टरों के लिए समान न्यूनतम मानक, (2) जलापूर्ति, स्वच्छता और सफाई सवंर्धन के न्यूनतम मानक, (3) खाद्यान्न सुरक्षा, पौष्टिकता और खाद्यान्न सहायता के न्यूनतम मानक, (4) आवास, समझौता तथा खाद्यान्न इतर वस्तुओं के न्यूनतम मानक, और (5) स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम मानक पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा प्रशंसा की गई। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने भी इस प्रक्रिया का पूरा समर्थन किया कि यदि जम्मू और कश्मीर सरकार आई.ए.जी. को मजबूत करती है तथा सरकार के साथ समुदायों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करती है तो वे इसका पूरा समर्थन करेंगे।

4.38 एन.डी.एम.ए. ने स्फेयर, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य अन्तर एजेंसी समूहों के साथ मिलकर आपदा राहत में 'खाद्यान्न, जल, चिकित्सा कवर, स्वच्छता और सफाई तथा मनो–सामाजिक समर्थन पर न्यूनतम मानकों के लिए सम्मेलन' पर उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी (यू.पी.ए.ए.एम.), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक दो–दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उदघाटन श्री राजेश त्रिपाठी (होमियोपेथी तथा धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार) जिन्होंने आयोजकों के प्रयासों की अत्यधिक प्रशंसा की और इस प्रयास का स्वागत किया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और बिहार और राज्यों के लिए आपदा राहत के दौरान विभिन्न सेक्टरों में न्यूनतम मानक स्थापित करने के संदर्भ में अनेक सिफारिशें प्राप्त हुई।

4.39 एन.डी.एम.ए. ने स्फियर, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिज (एन.आई.एम.एच. ए.एन.एस.), बंगलूर, यूनिसेफ और भारतीय लोक सेवा संस्थान के साथ मिलकर एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस., बंगलूर, कर्नाटक ने आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं और मनो–सामाजिक सहायता पर 22 दिसंबर, 2009 को एक सम्मेलन आयोजित किया।

4.40 एम.एस. रमैया मेडिकल कॉलेज, बंगलूर, कर्नाटक, भारत में 18–19 जनवरी, 2010 के दौरान जल–आपूर्ति, स्वच्छता और सफाई बढ़ाने के विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया ताकि जल–आपूर्ति स्वच्छता तथा सफाई के न्यूनतम मानकों पर विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा प्रारूप के लिए सिफारिशें और उनके विचार प्राप्त किए जा सके। इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं और अभिकरणों, जैसे कि बंगलूर विश्व विद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, यूनिसेफ, ई.एस.ए.एफ., एक्शन एड, ए. एफ.पी.आर.ओ., एम.एस. रमैया मेडिकल कॉलेज, मांडया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कर्नाटक के स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन, ओ.एक्स.एफ.ए.एम., सेंट जॉन नेशनल अकादमी आफ हैल्थ साइंसेज आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4.41 एन.डी.एम.ए. ने स्फियर, केरल राज्य आपदा प्राधिकरण, ई.एस.ए.एफ. और यूनिसेफ के साथ मिलकर आपदा राहत के दौरान खाद्यान्न, जल–आपूर्ति, स्वच्छता और सफाई, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कवर और मनो–सामाजिक सहायता पर रेजीडेंसी टावर, त्रिवेंद्रम में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 09 फरवरी, 2009 को एन.डी.एम.ए., भारत सरकार के माननीय सदस्य प्रोफेसर एन. विनोद चन्द्र मेनन द्वारा किया गया। श्री

श्री एन. विनोद चन्द्र मेनन (माननीय सदस्य, एन.डी.एम.ए.) तथा श्री के.पी. राजेन्द्रन, (राजस्व मंत्री, केरल सरकार) तिरूवन्तपुरम, केरल में 09 फरवरी, 2010 को न्यूनतम मानको पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए।

के.पी. राजेन्द्र, माननीय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने इस समारोह की अध्यक्षता की। राय के. एलेक्श, निदेशक–कार्यक्रम, ई.एस.ए.एफ. ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया।

अपने प्रारंभिक भाषण में प्रोफेसर मेनन ने कहा कि "खतरे होना अनिवार्य है परन्तु आपदाओं के दुष्प्रभावों को विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मानक अपना कर तथा समुचित उपाय करके न्यूनतम किया जा सकता है।" उन्होंने एन.डी.एम.ए. और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके प्रयासों और भूमिका पर संक्षिप्त में बताया तथा आपदा राहत के न्यूनतम मानकों को तैयार करने के लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – सूखा को तैयार करना

4.42 12 अगस्त, 2008 को आयोजित एक पैनल में हुई चर्चा को जारी रखते हुए डॉक्टर एम.सी.आर. एच. आर.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ आंध्र प्रदेश में 14 मार्च, 2009 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिससे कि सूखा प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके लिए 07 अगस्त, 2009 को एन.डी.एम.ए. भवन में संशोधित आधार पत्र

(बेस पेपर) के आधार पर चर्चा करने के लिए एक कोर ग्रुप की बैठक की गई। इस बैठक में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोर ग्रुप के छः सदस्यों वाले पहली ड्राफ्ट समिति की बैठक 01 अक्तूबर, 2009 को हुई। ड्राफ्ट समिति की कई बैठकों के बाद इसका प्रारूप लगभग तैयार है। समिति ने कृषि मंत्रालय और एन.आई. डी.एम. द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट मेनुअल का भी संदर्भ लिया।

घटना कमान प्रणाली पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की तैयारी

4.43 घटना कमान प्रणाली (इंसिडेंट कमांड सिस्टम) पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्णय लिए जाने के बाद इसे भारतीय संदर्भ में अपनाने के उद्देश्य से इस विषय पर अनेक विशेषज्ञों वाले एक प्रमुख समूह का गठन किया जिसने 09 अक्तूबर, 2007 को अपनी पहली बैठक का आयोजन किया। वर्ष 2007–08 के दौरान अनेक साझेदारों के साथ कई बैठकें की गई तथा दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया। इन दिशा निर्देशों के प्रारूप को विभिन्न संस्थाओं में परिचालित किया गया तथा उनके विचारों/सुझावों का मूल्यांकन कर उसे प्रारूप में शामिल किया गया।

4.44 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. में केवल इसी विषय पर संकेन्द्रित सामूहिक चर्चा और बैठकें की गई ताकि भिन्न समयावधि पर घटना कमान प्रणाली के दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा सके। भारत सरकार के इसी से संबंधित विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों और भिन्न–भिन्न प्रशिक्षण–संस्थानों के साझेदारों ने इसमें भाग लिया। विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशिक्षण संस्थानों के सुझाव और टिप्पणियों की इस बैठक में जांच की गई और उन्हें उन दिशानिर्देशों में शामिल किया गया।

4.45 एन.डी.एम.ए., नई दिल्ली, में 09 जून, 2009 को एक विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन दिशानिर्देशों के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए किया गया। पूरे देश के लगभग 27 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशालाओं द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों और सिफारिशों पर चर्चा की गई। उसके अलावा, घटना कमान प्रणाली को विभिन्न देशों में अपनाए जाने पर भी विचार किया गया। क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशालाओं में शेष रह गए मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें इसमें शामिल किया गया।

4.46 एन.डी.एम.ए. और बिहार, तमिलनाडु और असम आदि की राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भिन्न–भिन्न समय पर कार्यशालाएँ की गई और चर्चाएं आयोजित की गईं। इन चर्चाओं के द्वारा इन दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप देने से पहले इनके अन्तिम रूपांतर पर चर्चा ली गई।

शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी

4.47 इस अधिदेश के एक भाग के फलस्वरूप एन.डी.एम.ए. ने शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 9–चरणों वाली प्रक्रिया को अपनाया है। इस प्रक्रिया में शहरी बाढ़ की गंभीर कमियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और मूल्यांकन नोडल एजेन्सियों, भारत सरकार और राज्य सरकार के

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षण, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों, तथा यू. एल.बी. से व्यापक विचार आमंत्रित करके तथा संसद सदस्यों, विधायकों और यू.एल.बी. के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके किया गया।

4.48 विभिन्न समितियों का गठन किया गया और उसके बाद दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं, राज्य स्तरीय कार्यशालाएं, कोर–ग्रुप की बैठकें, पुनरीक्षा बैठकें तथा भारत–अमरीका कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के प्रारूप पर वर्ष 2009 के दौरान कई बार चर्चा की गई। अन्तिम प्रारूप मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, अन्य विभिन्न प्राधिकरणों और संबंधित संस्थाओं के बीच उनकी सिफारिशें प्राप्त करने के लिए परिचालित करने हेतु तैयार है। विभिन्न अभिकरणों/साझेदारों से एक बार सिफारिशें प्राप्त होने पर उनका विश्लेषण करके उन्हें अन्तिम दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाएगा। आशा है कि इन दिशानिर्देशों को सितम्बर, 2010 तक जारी कर दिया जाएगा।

सुनामी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करना

4.49 सुनामी के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए एन.डी.एम.ए. ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का संयोजन किया जिसकी अध्यक्षता प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन. डी.एम.ए. ने की। भारत सरकार, राज्य सरकार, शिक्षाविदों और व्यावसायिकों के वर्ग से आए सुनामी प्रबंधन विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह का गठन किया गया और सुनामी प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश प्रतिपादित करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं।

4.50 तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की सरकारों, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, गृह मंत्रालय और कुछ शीर्ष गैर–सरकारी संगठनों से वरिष्ठ प्रशासकों की भागीदारी से सुनामी पुनर्बहाली और सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र की टीम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस संदर्भ में पर्यावास विकास सुनामी पश्चात् पुनर्निर्माण परिप्रेक्ष्य पर एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की गई। इस कांफ्रेंस में उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण किया जा रहा है और सुनामी प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अंतिम मसौदे का कार्य तैयारी के अंतर्गत है।

आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तैयारी

4.51 आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन कृत्यक बल और विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह को गठित किया गया। प्रमुख समूह की अनेक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और इन दिशानिर्देशों को तैयार करने का काम प्रगति पर है।

आपदा–पश्चात् पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी

4.52 गांधीधाम में मालिक द्वारा कराए गए (ओनर–ड्रिवन) पुनर्निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला और नई दिल्ली में मालिक द्वारा कराए गए (ओनर–ड्रिवन) पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद, आपदा–पश्चात् पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी के लिए

अनेक प्रमुख समूह की बैठकें आयोजित की गई और संबंधित दिशानिर्देश तैयारी के अंतर्गत हैं।

आपदा से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी

4.53 आपदा–पश्चात् पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी के लिए प्रख्यात संरक्षण वास्तुकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासकों वाले विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह को गठित किया गया है। प्रमुख समूह की अनेक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और दिशानिर्देश तैयारी के अंतर्गत हैं।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश की तैयारी

4.54 इस विषय पर इस अवधि के दौरान प्रमुख समूह की कई बैठकें और विशेषज्ञों के साथ परामर्शों का आयोजन किया गया है तथा दिशानिर्देशों के अंतिम प्रारूप का कार्य तैयारी के अंतर्गत है।

5 आपदा पूर्व तैयारी एवं सामुदायिक जागरुकता

चिकित्सा संबंधी तैयारी और बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन

5.1 भारत की अनोखी भौगोलिक जलवायु स्थितियाँ इसको प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा बीमारियों का प्रकोप जिनसे बड़ी संख्या में मनुष्यों की मृत्यु होती है, के प्रति असुरक्षित बनाती है। अक्तूबर 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात के कारण 9000 से ज्यादा मौतें हुईं; जनवरी, 2001 भुज में आए भूकंप से 14,000 मौतें हुईं; जबकि दिसंबर, 2004 में आई सुनामी से 15,000 मौतें हुईं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से, दो दशकों से अधिक की अवधि के दौरान, 15000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। उपर्युक्त घटनाएं प्राकृतिक तथा मानव–जनित आपदाओं की बड़े पैमाने पर क्षति करने की क्षमता को दर्शाती है। औद्योगिकीकरण और 'डर्टी बम' और/अथवा रासायनिक बम के प्रयोग से आतंकवादी हमलों की वजह से मानवजनित आपदाओं से बढ़ती असुरक्षितता आपदा–पूर्व तैयारी, रोकथाम, प्रशमन रणनीतियों के लिए एक बहुविषयक तथा एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा कार्रवाई को बेहतर करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत पर बल देती है।

5.2 एन.डी.एम.ए. ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की भागीदारी से इस पूरे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में तैयारी को बढ़ाने के लिए संयुक्त कदम उठाए हैं। कुछ परियोजनाएं जैसे राज्यों में एम्बुलेंस सेवाओं में वृद्धि, जैव–सुरक्षा प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा ट्रॉमा सेंटरों का निर्माण विचाराधीन हैं। विभिन्न भागीदार अभिकरणों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए अस्पताल संबंधी तैयारी तथा बड़ी दुर्घटना प्रबंधन पर कृत्रिम अभ्यास भी संचालित किए गए हैं।

एच 1 एन 1 इन्फ्लूएंजा और इसके निवारण हेतु देशव्यापी तैयारी और कार्रवाई

5.3 स्वास्थ्य के अतिरिक्त देशव्यापी तैयारी पर एन. डी.एम.ए. द्वारा सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ अप्रैल, 2008 में की गई कार्यशाला के बाद एच 1 एन 1 महामारी से उस समय अच्छी तरह निपटा जा सका जब अन्ततः मई, 2009 के मध्य में देश में इसकी पुष्टि कर दी गई। अतः एन.डी.एम.ए. द्वारा अनेक निवारक उपायों को शुरू कर के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से परे स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर महामारी से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए गए।

5.4 एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू की गई योजनाएं और नीतियाँ निम्न प्रकार हैं:

(क) स्वाइन फ्लू पर निदेश – 28 अप्रैल, 2009।

(ख) इन्फ्लूएंजा ए (एच 1 एन 1) की बीमारी से बचाव और प्रबंधन–01 मई, 2009।

(ग) एच 1 एन 1 की बीमारी से निपटने का देशव्यापी प्रबंधन– 05 मई, 2009।

(घ) इन्फ्लूएंजा (एच 1 एन 1) पर दिशानिर्देश–स्वास्थ्य इतर सेक्टर में कार्य जारी रखने (बिजनेस

कन्टीन्यूटी) हेतु देशव्यापी तैयारी–मई, 2009।

(ङ) एन.डी.एम.ए. के साथ विचार–विमर्श से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बीमारी से निपटने की देशव्यापी तैयारी और कार्रवाई के लिए कार्य योजना–मई, 2009।

5.5 पूरी तरह फैले एच 1 एन 1 महामारी की स्थिति से तथा सी.बी.आर.एन. आपदा से निपटने के लिए अनेक कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आई.सी.एम.आर. और ए.आई.आई.एम.एस. आदि के अधिकारियों के साथ 10 सितम्बर, 2009 को एक बैठक आयोजित की गई ताकि पूरी तरह फैले एच 1 एन 1 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की जा सके। पूरी तरह फैले एच 1 एन 1 की देशव्यापी स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा करने के लिए आपदा प्रबंधन के सचिवों और विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों के साथ 14 सितम्बर, 2009 को एक बैठक की गई।

5.6 एन.डी.एम.ए. द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर एच 1 एन 1 ए इन्फ्लूएंजा के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और देशव्यापी तैयारी और प्रशमन संबंधी निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए 25 सितम्बर, 2009 को एक बैठक की गई:

- विभिन्न आकार के शहरों के मरीजों के इलाज हेतु किस प्रकार का भार तैयार होगा (जनसंख्या आकार के संबंध में) ?
- भिन्न–भिन्न शहरों के अस्पतालों में किस प्रकार के बिस्तरों (पृथक वार्ड) की आवश्यकता होगी ?
- दवाइयों का कितना भण्डारण/उपलब्धता (तमिलनाडु आदि) होनी चाहिए ?
- आउटडोर मरीजों के लिए एण्टी–वायरल औषधि की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी तथा तथा इन्हें जारी करने का क्या तरीका होगा ?
- एण्टी–वायरल औषधि का राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मात्रा में भण्डारण करना होगा ?
- राष्ट्रीय स्तर पर इस वैक्सीन की कितनी मात्रा की जरूरत होगी ?
- देशव्यापी गंभीरता की स्थिति के आधार पर बाद में क्या–क्या परिवर्तन किए जाएंगे ?

5.7 एन.डी.एम.ए. द्वारा एच 1 एन 1 पर चलाए गए सुग्राहीकरण कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

- प्रेस और दूरदर्शन के माध्यम से मीडिया से आपसी सम्पर्क बनाना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) सामग्री तैयार करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस.डी.एम.ए) के साथ एन.डी.एम.ए. के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय रणनीति के समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा।

सी.बी.आर.एन. दुर्घटना पर आपातकालीन चिकित्सा कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा तैयारियों पर कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.8 चिकित्सा प्रदान करने वाले डॉक्टरों और सहायक चिकित्सा स्टाफ को रासायनिक, जैविकीय, वैकिरणकी और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) कारकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों के बारे में बताया जाए। उन्हें सी.बी.आर.एन. दल में तैनात करने से पूर्व प्रत्येक डाक्टर को सी.बी.आर.एन. दुर्घटनाओं के दौरान

आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करनी आनी चाहिए। चूंकि प्रभावित रोगियों को बहु–आयामी देखभाल की आवश्यकता होगी इसीलिए सभी डाक्टरों, सर्जनों, आंकोलाजिस्टों, रक्तविज्ञानियों, आन्त्रशोथ विज्ञानियों और सभी प्रकार के विशेषज्ञों तथा प्रयोगशाला की दवा के विशेषज्ञों को विकिरण के कारण होने वाले घावों के प्रबंधन पर दल प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वे सी. बी.आर.एन. के कारण हुए घावों का इलाज कर सकें। एन.डी.एम.ए. ने डी.आर.डी.ओ., बी.ए.आर.सी. और जे. पी.एन. अपेक्स ट्रॉमा सेंटर के साथ मिलकर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दिल्ली में 150 डाक्टरों को सी.बी. आर.एन. दुर्घटनाओं के संबंध में प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया है। मई, जुलाई और अक्तूबर, 2009 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2009–2010 के दौरान निम्नलिखित सी.बी.आर.एन. दुर्घटना प्रबंधन पाठ्यक्रम चलाए गए:

- 20–22 मई, 2009 के दौरान जे.पी.एन. अपेक्स ट्रामा सेंटर, नई दिल्ली में सी.बी.आर.एन. दुर्घटनाओं पर आपातकालीन चिकित्सा कार्रवाई के लिए तैयारी पर प्रशिक्षण।
- 29–31 जुलाई, 2009 के दौरान सी.बी.आर.एन. दुर्घटनाओं पर आपातकालीन चिकित्सा कार्रवाई करने के लिए तैयारी पर प्रशिक्षण।
- 28–30 अक्तूबर, 2009 के दौरान सी.बी.आर.एन. दुर्घटनाओं पर आपातकालीन चिकित्सा कार्रवाई करने के लिए तैयारी पर प्रशिक्षण।

सी.बी.आर.एन. के लिए रणनीति विकसित करने के लिए शुरू किए गए कार्यकलाप

5.9 रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ क्रमशः दिनांक 12 मई, 2009 और 15 मई, 2009 को रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपदाओं के प्रबंधन की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता के लिए बैठकें हुईं।

5.10 सी.बी.आर.एन. आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी संयुक्त रूप से कॉलेज आफ मिलिट्री इंजीनियरिंग और एन.डी.एम.ए. द्वारा सी.एम.ई., पुणे में 5 और 6 फरवरी, 2010 को किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के 400 से अधिक व्यक्तियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

5.11 सी.बी.आर.एन. आपदाओं से निपटने के लिए जिला अधिकारियों के लिए एक क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज आफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (सी.एम.ई.), पुणे में 8 से 11 फरवरी, 2010 के दौरान किया गया। क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम में 18 जिला अधिकारियों ने भाग लिया।

5.12 अतिरिक्त संकटकालीन कार्रवाई केन्द्रों (ए.ई.आर. सी.) के माध्यम से बड़े शहरों/महानगरों में वैकिरणकी के जोखिमों से निपटने संबंधी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 24 फरवरी, 2010 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बी.ए.आर.सी. के अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। संभावित वैकिरणकी के खतरों से संबंधित मुद्दों और वैकिरणकी वाले सक्रिय पदार्थ का पता लगाने के लिए उपकरणों का प्रयोग करने के बारे में प्रतिभागियों को बताया गया।

रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन

रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन

5.13 एन.डी.एम.ए. ने पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा फिक्की (एफ.आई.सी.सी.आई.) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से देश में निम्नलिखित प्रशिक्षण, शिक्षा और चेतना सृजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनका प्रतिभागियों ने देश में रासायनिक दुर्घटनाओं/आपदाओं से बचाव, तैयारी और प्रशमन से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को

उनकी उच्च दर्जे की प्रस्तुति, बातचीत और मेलजोल के लिए भरपूर स्वागत किया:

- फिक्की, नई दिल्ली में 11–13 फरवरी, 2009 को रासायनिक आपदा प्रबंधन, पाइपलाइन्स, भण्डारण और चिकित्सा तैयारियों पर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- 30 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2009 के दौरान रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन, पाइपलाइन्स, भण्डारण और चिकित्सा तैयारियों पर अहमदाबाद में सम्मेलन।
- मुंबई में 15–17 फरवरी, 2010 के दौरान सी.आई.डी.एम.–2010।

कार्पोरेट सेक्टर में आपदा प्रबंधन

5.14 प्राकृतिक और मानव–जनित निर्मित आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के कारण आपदा तैयारियों, जोखिम प्रशमन और कारगर कार्रवाई के प्रयासों को एकजुट करने और उन्हें बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता हैं। आपदा प्रबंधन को पेशेवर बनाने हेतु गंभीर साझेदारों को एकजुट करने के प्रयास के रूप में एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट सेक्टर की भूमिका को समझने और परिभाषित करने के लिए कार्पोरेट सेक्टर से बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू की हैं। कार्पोरेट सेक्टर ने आपदा उपरान्त राहत में सहयोग किया तथा ये पहचान भी की गई है कि आपदा तैयारी और प्रशमन की भूमिका में वे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5.15 17 अप्रैल, 2009 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट सेक्टर पर एक 'कांसेप्ट नोट' पर चर्चा की गई जिसमें सी.एस.आर. के एक भाग के रूप में तथा कभी पी.पी.पी. मोड में राज्यों की आवश्यकताओं के मुताबिक राज्यों की शक्ति और प्राथमिकता में समन्वय स्थापित करना था। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को एक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया जिससे कि एन.डी.एम.ए. के आपदा प्रबंधन क्षेत्र में की जा रही पहलों को कार्पोरेट सेक्टर में शामिल कराया जा सके। इस बारे में निम्नलिखित कार्यों का आयोजन किया गया:

- कोलकाता में 26 अक्तूबर, 2009 को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें फिक्की, सी.आई.आई. और बंगाल वाणिज्य चैम्बर के लोगों ने भाग लिया। सी.आई.आई. की नोडल अभिकरण के रूप में लेकर एक कार्य योजना तैयार की गई हैं।
- उद्योगों और महत्त्वपूर्ण कार्पोरेटों को शामिल करके 26 नवम्बर को हैदराबाद में और 01 दिसम्बर, 2009 को विशाखापट्टनम में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्पोरेट और सरकारी विभागों ने भाग लिया।
- उद्योगों और महत्त्वपूर्ण कार्पोरेटों के सहयोग से 9 दिसम्बर, 2009 को कोचीन में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्पोरेट और सरकारी विभागों ने भाग लिया।
- उद्योगों और महत्त्वपूर्ण कार्पोरेट के सहयोग से 11 दिसम्बर, 2009 को अहमदाबाद में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्पोरेट और सरकारी विभागों ने भाग लिया।
- भिन्न–भिन्न राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सी.आई.आई., फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजे गए। सी.आई.आई. और एसोचैम ने शीघ्रता से जवाब दिया और कार्यशालाएं करने के लिए तुरन्त सहमत हो गए।

5.16 एन.डी.एम.ए. ने कई कार्यशालाएं आयोजित की ताकि विभिन्न वाणिज्यक संस्थानों, उद्योगों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों से आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी, प्रशमन आपातकालीन कार्रवाई करने के संबंध में उनके विचार प्राप्त किए जा सकें। सी.आई.आई., फिक्की और एसोचैम और अन्य कार्पोरेट वाणिज्यिक घरानों के साथ की गई इन कार्यशालाओं से आपदा प्रबंधन (डी. एम.) के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को बढ़ावा देने तथा न केवल राहत कार्यों में कार्पोरेट क्षेत्र की भूमिका को सुचारू बनाने बल्कि प्रशमन और तैयारी की विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया गया। एन.डी.एम.ए. ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को "आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट सेक्टर को संलिप्त करने के लिए उचित नीतियों वाले ढांचे को कार्यनीति सहित विकसित करने" के संबंध में एन.डी.एम. ए. की पहलों के लिए अन्तर्ग्रस्त किया है।

नागरिक रक्षा

5.17 जमीनी स्तर पर सामुदायिक तैयारी तथा जन चेतना सृजन के लिए चालू प्रयासों में, नागरिक रक्षा का नवीनीकरण एन.डी.एम.ए. का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नागरिक रक्षा के अधिदेश को आपदा प्रबंधन में एक प्रभावी तथा सार्थक भूमिका निभाने के लिए पुनः परिभाषित किया जा रहा है। देश में नागरिक रक्षा के नवीनीकरण के लिए श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एन.डी. एम.ए. की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार–प्राप्त समिति की सिफारिशों को 02 अप्रैल, 2008 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली नागरिक रक्षा परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत किया गया। समिति की सभी सिफारिशें मंजूर कर ली गईं।

5.18 संगठनात्मक पुनर्गठन के अलावा, स्वयंसेवकों को सामुदायिक चेतना तथा आपदाओं के सकारात्मक प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है राष्ट्रीय नागरिक रक्षा महाविद्यालय, नागपुर और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के मौजूदा नागरिक रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस संकटकालीन कार्रवाई तथा संकटकालीन कार्रवाईकर्ताओं के क्षमता निर्माण की ओर है। यह पाया गया है कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अपर्याप्त संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन पर उचित प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों को रिफ्रेशर्स प्रशिक्षण तथा मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडयूलों के अभाव की वजह से कारगर नहीं है।

5.19 एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए गए नागरिक रक्षा के ढांचे के नवीनीकरण से संबंधित राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण–पत्र को भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस दस्तावेज के मंजूर किए जाने के अनुसरण स्वरूप नागरिक रक्षा के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। जिसमें से वर्ष 2009–10 के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

कृत्रिम (मॉक) अभ्यास

5.20 यह उन महत्त्वपूर्ण प्रयासों में से एक है जो एन. डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं, दोनों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की कारगरता की समीक्षा और जन चेतना उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुविधा उपलब्ध कराता है। इन अभ्यासों का संचालन राज्य सरकारों की सिफारिशों पर सर्वाधिक असुरक्षित जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है।

5.21 इन अभ्यासों का संचालन एक चरणबद्ध तरीका अपनाकर एक सुनियोजित एवं व्यापक ढंग से किया जाता है। प्रारंभिक चरण में, एक ओरियंटेशन–कम–कोओर्डिनेशन कांफ्रेंस का आयोजन विभिन्न भागीदार अभिकरणों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया जाता है। अगले चरण में, नकली परिदृश्यों में भागीदारों की अनुक्रिया के निष्कर्ष के लिए टेबल टॉप अभ्यासों

बाढ़ पर कृत्रिम अभ्यास–छत्तीसगढ़, 29 जून, 2009।

को किया जाता है। इन परिदृश्यों को आपदा प्रबंधन चक्र के संपूर्ण सार को शामिल करने के लिए कल्पित किया जाता है। इस चरण के अंत में प्राप्त किए गए सबकों के अनुभव को सभी भागीदारों के साथ बाँटा जाता है और कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले भागीदारों को अपनी अनुक्रियाओं का व्यक्त करने तथा अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। यह अभ्यास एक नकली परिदृश्य रच कर संचालित किया जाता है और विभिन्न भागीदारों की अनुक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाया जाता है। अभ्यास को मॉनीटर करने के लिए कई प्रेक्षकों को भी रखा जाता है और भागीदारों के अलावा समुदाय से तमाशबीनों और भागीदार अभिकरणों को भी कृत्रिम अभ्यास में आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद एक बड़ा विवरण तैयार किया जाता है जिसमें प्रेक्षकों को अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों के द्वारा ढूंढी गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन तथा विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन को भी सूचित किया जाता है।

5.22 कृत्रिम अभ्यासों का संचालन जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति उत्पन्न करने में काफी मददगार रहा है। अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों की बड़ी भागीदारी–रही है। जिला प्रशासन कार्पोरेट क्षेत्र और अन्य प्रथम कार्रवाईकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। अधिकांश अभ्यासों में राज्य स्तर पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों और वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन अभ्यासों को स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी व्यापक कवरेज दिया गया जिससे लोगों में बड़ी संख्या में जागरुकता फैली।

5.23 रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न आपदाओं जैसे शहरी आग, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा, बाढ़, भूकंप और चक्रवात, पर पूरे देश में 39 कृत्रिम अभ्यासों का संचालन किया गया। इस वर्ष के दौरान कृत्रिम अभ्यास की विशेषता दिल्ली मेट्रो रेल में आतंकवादी हमले और गैस रिसाव पर कृत्रिम अभ्यास तथा हैदराबाद और बेंगलुरू में बड़ी दुर्घटना प्रबंधन पर कृत्रिम अभ्यास का संचालन करना था।

चक्रवात पर कृत्रिम अभ्यास–पोरबंदर, 19 जून, 2009।

स्कूली सुरक्षा पर कृत्रिम अभ्यास

5.24 स्कूलों में कृत्रिम अभ्यास कराने का उद्देश्य विशिष्ट राहत दल के पहुँचने से पहले स्कूलों को आपदा का उचित प्रकार से निपटान करना समझाना है। यह दो चरणों में किया जाता है। पहले चरण में आपदा प्रबंधन का ढाँचा तैयार करना, स्कूल आपदा प्रबंधन

एन.डी.एम.ए. द्वारा 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 के बीच संचालित किए गए कृत्रिम अभ्यास

क्रम संख्या	आपदा	राज्य	किए गए कृत्रिम अभ्यासों की संख्या
1.	भूकंप	उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू व कश्मीर	11
2.	चक्रवात	गुजरात	01
3.	बाढ़	तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र	04
4.	शहरों में आगजनी	हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर और सिक्किम	04
5.	रासायनिक (औद्योगिक)	कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात	09
6.	आतंकवादी संबंधित	दिल्ली	05
		योग	**39**

समिति का गठन करना, आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा तैयार करना, आपदा प्रबंधन के लिए टीम बनाना तथा कृत्रिम अभ्यास करने की प्रक्रिया को सीमांकित करना होता है। दूसरे चरण में उत्पन्न आपदा के संबंध में स्कूलों में कृत्रिम अभ्यासों में वास्तविक रूप में बाहर निकालना, खोज व बचाव, प्राथमिक चिकित्सा देना इत्यादि का अभ्यास कराया जाता है। कृत्रिम अभ्यास को प्रधानाचार्य के कार्यालय के निकट स्थापित नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित किया जाता है। स्कूलों में किए गए कृत्रिम अभ्यासों का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है:

भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास–अनंतनाग, 16 मार्च।

क्रम संख्या	आपदा	राज्य	किए गए कृत्रिम अभ्यासों की संख्या
1.	भूकंप	दिल्ली, उत्तराखण्ड, हरियाणा, कर्नाटक तथा जम्मू व कश्मीर	43
2.	चक्रवात	गोवा	01
3.	आगजनी	तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र	27
4.	आतंकवादी संबंधित	कर्नाटक, दिल्ली	09
		योग	**80**

स्कूली सुरक्षा पर कृत्रिम अभ्यास–बेल्लारी, कर्नाटक, 17 जून, 2009।

चेतना अभियान

5.25 जनता के बीच चेतना उत्पन्न करने के प्रयास में एन.डी.एम.ए. ने इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई जन चेतना अभियान शुरू किए। आपदा प्रबंधन हेतु उचित माहौल बनाने और लक्षित श्रोताओं पर उच्च स्तरीय प्रभाव छोड़ने के लिए इन कार्यक्रमों में फोकस किया गया था।

5.26 वर्ष 2009–10 की अवधि के दौरान निम्नलिखित आपदा प्रबंधन चेतना अभियानों को प्रारंभ किया गया:

श्रव्य–दृश्य अभियान

5.27 आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी टी.वी. चैनलों जैसे सामान्य मनोरंजन चैनल, न्यूज चैनल और क्षेत्रीय चैनलों पर श्रव्य और वीडियों स्पॉटों तथा डी.ए.वी.पी. और एन.डी.एफ.सी. के माध्यम से एफ.एम. रेडियो चैनलों पर प्रचार अभियान चलाए गए।

भूकंप चेतना अभियान

5.28 भूकंप प्रवण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भूकंप चेतना अभियान चलाने के लिए 35 मि.मी. के 4 (चार) वीडियो और 4 (चार) आडियो स्पॉट का निर्माण किया गया। लक्षित श्रोताओं को कुछ चुनिंदा श्रोताओं की जानकारी हेतु इसे केन्द्रित किया गया। इस अभियान का ब्योरा निम्न प्रकार है:

- लोक सभा चुनावों के दौरान मत–गणना के दिन दूरदर्शन, लोक सभा चैनल और आकाशवाणी पर 16/05/2009 को विशेष चेतना अभियान।
- अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर 14/10/2009 को दूरदर्शन और निजी टी.वी. चैनलों और एफ.एम. रेडियो चैनलों पर विशेष चेतना अभियान ।
- आकाशवाणी और निजी टी.वी. चैनलों पर जुलाई, 2009 के दौरान चेतना अभियान।
- जी स्पोर्ट चैनल पर 22/08/2009 से 31/08/2009 तक ओ.एन.जी.सी. नेहरू कप टूर्नामेंट के दौरान चेतना अभियान।
- जून, 2009 में आकाशवाणी पर आई.सी.सी प्रतियोगिता के दौरान चेतना सृजन अभियान।
- 08–09–2009 से 14–09–2009 के दौरान आकाशवाणी पर तीन देशों की क्रिकेट शृंखला, 2009 के दौरान आपदा चेतना अभियान।
- आकाशवाणी और प्राइवेट निजी चैनलों पर भारत बनाम आस्ट्रेलिया क्रिकेट शृंखला, 2009 के दौरान दिनांक 28/10/2009 से 11/11/2009 तक चेतना अभियान।
- दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से भारत बनाम श्रीलंका क्रिकेट शृंखला के दौरान दिनांक 18/12/2009 से 27/12/2009 तक चेतना अभियान।

- प्राइवेट टी.वी. चैनलों पर दिनांक 20/11/2009 से 19/12/2009 के दौरान एक मास तक तथा 19/12/2009 से 2/01/2010 तक एफ.एम. रेडियो चैनलों पर 15 दिनों का चेतना अभियान।

- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दिनांक 21, 24 और 28 फरवरी, 2010 को एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के बीच दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चेतना अभियान।

- टेन स्पोर्टस चैनल पर फरवरी–मार्च, 2010 के दौरान खेले गए हॉकी विश्वकप के दौरान चेतना अभियान।

- प्राइवेट टी.वी. चैनलों पर मार्च–अप्रैल, 2010 के दौरान एक मास तक तथा 17–03–2010 से 05–04–2010 के दौरान 20 दिनों तक एफ.एम. रेडियो चैनलों पर चेतना अभियान।

चक्रवात चेतना अभियान

5.29 35 मि.मी. में तीन वीडियो तथा तीन ऑडियो स्पॉट को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करके चक्रवात प्रवण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चक्रवात चेतना अभियान के रूप में चलाने के लिए बनाया गया। इस अभियान का विवरण निम्न प्रकार है:

- प्राइवेट टी.वी. और एफ.एम. रेडियो चैनलों पर 19/11/2009 से 25/11/2009 के दौरान सात दिनों तक चेतना अभियान चलाया गया।

बाढ़ चेतना अभियान:

5.30 35 मि.मी. के चार वीडियो तथा चार ऑडियो स्पॉट का राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ चेतना अभियान चलाने के लिए निर्माण किया गया। अभियान का ब्योरा निम्नलिखित है:

- प्राइवेट टी.वी. चैनलों तथा आकाशवाणी और एफ. एम. रेडियो पर 1/07/2009 से 31/07/2009 के दौरान एक मास तक चेतना अभियान।

मुद्रण अभियान

- इन दिशानिर्देशों के जारी करने के समय पर विभिन्न प्रमुख समाचार–पत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन पर दिशानिर्देशों, रासायनिक (आतंकवाद) आपदा पर दिशानिर्देश, मनो–सामाजिक और मानसिक चिकित्सा देखभाल से संबंधित पूर्ण पृष्ठ के विज्ञापन।

- आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रमुख समाचार–पत्रों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं पर "क्या करें" और "क्या न करें" से संबंधित आधे पृष्ठ वाले विज्ञापन।

- इण्डिया टुडे पत्रिका में "आपदा प्रबंधन का विकास में सदुपयोग" विषय पर 2 पृष्ठों का लेख प्रकाशित किया गया। "आउटलुक" पत्रिका में "आपदाओं के समग्र प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्रवाई" पर 2 पृष्ठों के विज्ञापन के रूप में सम्पादकीय।

- एन.डी.एम.ए. और एन.डी.आर.एफ. के क्रियाकलापों को दर्शाने वाले 20–कालेप्सीबल पैनत के 10 सेट तथा 20 हार्ड–बोर्ड पैनल के 9–सेट के पैनल प्रत्येक सैट के लिए तैयार किए गए।

- एन.डी.एम.ए. और एन.डी.आर.एफ. के क्रियाकलापों के बारे में विवरण दर्शाने वाली प्रक्रिया की 10,000 प्रतियाँ।

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, आपदाओं के संबंध में "क्या करें" और "क्या न करें" के पर्चे भी तैयार किए गए।

प्रदर्शनियाँ

- एन.डी.एम.ए. ने पैनल, ब्रोशर, लीफलेट्स, दिशानिर्देशों जैसी प्रचार सामग्री दर्शाने वाली स्टालों को विज्ञान भवन, प्रगति मैदान आई.आई.टी.एफ., मसूरी, आई.आई.टी., मुंबई में आयोजित टैक फैस्टीवल, 2009 तथा आई.आई.टी., रूड़की में आयोजित काग्नीजेंस फैस्टीवल, 2010 के दौरान लगाई गई प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया।

आई.ई.सी. सम्बन्धी गतिविधियाँ:

- पोस्टर, पर्चों, होर्डिंग्स, दीवार चित्रों (वाल पेंटिंग), वीडियो/ऑडियो स्पॉट, आदि आई.ई.सी. गतिविधियों के अन्तर्गत चेतना सृजन क्रियाकलापों के लिए 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई।

6 आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएँ

6.1 एन.डी.एम.ए. कई प्रशमन परियोजनाओं की अवधारणा तैयार करने और कार्यान्वयन में संलिप्त है। एन.डी.एम.ए. ने नोडल मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संबंधित सरकारी एजेन्सी के परामर्श से परियोजनाओं की आवश्यक बातों और संक्षिप्त रूपरेखा के निर्धारण के साथ, सूत्रीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। परियोजना की बहु–विषयक दलों द्वारा अपेक्षित समर्थनकारी व्यवस्थाओं जैसे वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय संसाधनों तथा प्रौद्योगिक–विधिक व्यवस्था सम्बन्धी विवरण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.) तैयार की जाएंगी। विशिष्ट आपदाओं और/या विषयमूलक हस्तक्षेपों के लिए उत्तरदायी विभिन्न नोडल एजेन्सियों को परियोजना कार्य सौंपा जाएगा। मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा एन.डी.एम.ए. के तकनीकी विशेषज्ञों से गठित एक बहुक्षेत्रीय समूह के प्रतिनिधियों द्वारा आवधिक मॉनीटरिंग का कार्य किया जाएगा।

प्रशमन परियोजनाएँ

6.2 एन.डी.एम.ए. द्वारा निम्नलिखित प्रशमन परियोजनाओं की योजनाएं बनाई गई हैं:

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी)।
- राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी)।
- राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना (एन.डी.सी.एन.पी)।
- राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एफ.आर.एम.पी)।
- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी)।

6.3 अन्य आपदा प्रशमन परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्कूली सुरक्षा कार्यक्रम (प्रदर्शन परियोजना)
- ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मृदा कटाव का अध्ययन।
- भारत में कॉर्टोग्राफी आधार का विकास।
- हैदराबाद शहर की बाढ़ का अध्ययन।

6.4 एन.डी.एम.ए. ने नोडल एजेन्सियों और राज्य सरकारों के निकट सहयोग से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना, स्कूली सुरक्षा परियोजना, राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना शुरू करने हेतु उनकी तैयारी के लिए कार्य आरम्भ किया है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

6.5 गृह मंत्रालय ने चक्रवात संभावित 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना को तैयार किया जिसे सितम्बर, 2006 में एन.डी.एम.ए. को इसके प्रबंधन हेतु हस्तान्तरित कर दिया। यह परियोजना नौ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल तथा

चार संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पांडिचेरी और लक्षद्वीप द्वारा क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना के निधिपोषण के लिए विश्व बैंक के पास प्रस्ताव भेजा जाना है।

6.6 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से देश में चक्रवात जोखिमों का निवारण करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य चक्रवात प्रवण तटवर्ती जिलों में चक्रवात के जोखिम और विध्वंस को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक प्रशमन के प्रयासों को मजबूत बनाना है। परियोजना में चार प्रमुख घटकों का अनुमान लगाया गया है:

- घटक क – चक्रवात चेतावनियों और सलाहों की सर्वत्र संपर्कता को मजबूत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली को उन्नत करना।
- घटक ख – चक्रवात जोखिम प्रशमन निवेश।
- घटक ग – विपदा जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता।
- घटक घ – परियोजना प्रबंधन और सांस्थानिक सहायता।

6.7 ये घटक अत्यधिक अंतर–निर्भर हैं और इन्हें एक संगत तरीके से लागू किया जाना है। इस परियोजना के अधीन कार्यकलापों की योजना रूपरेखा में सभी 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कारगर चक्रवात आपदा प्रबंधन हेतु संपूर्ण हल उपलब्ध कराए गए हैं।

6.8 घटक–ग और घटक घ से संबंधित दस्तावेजों के अतिरिक्त दिनांक 12.8.2009 को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के निवेश प्रस्तावों और मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रतियों को विश्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग और गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया।

विवरण	उड़ीसा		आंध्र प्रदेश	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
चक्रवात आश्रय केन्द्र (शेल्टर्स)	155	151.86	148	131.83
चक्रवात आश्रय केन्द्रों तक तथा/अथवा आवास स्थलों तक सड़कों का निर्माण	190	210.52	478	293.4
पुलों का निर्माण तथा सड़कों को मजबूत बनाने का काम	-	-	25	122.73
तटबंधों/समुद्री तटों का संरक्षण कार्य	23	165	2	90.74
योग		**527.38**		**638.7**

6.9 विश्व बैंक मूल्यांकन मिशन ने 30 नवम्बर–04 दिसम्बर, 2009 के दौरान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा किया। एन.डी.एम.ए. अधिकारी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे के दौरान विश्व बैंक मिशन के साथ थे। तत्पश्चात्, विश्व बैंक ने सूचित किया कि मूल्यांकन कार्य को पूरा करने का काम हाथ में ले लिया गया है।

6.10 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी लेने हेतु एक मसौदा व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) ज्ञापन दिनांक 13.1.2010 को गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया। ई.एफ.सी. ने दिनांक 7.4.2010 को ज्ञापन पर विचार किया और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी देने के लिए परियोजना की सिफारिश की। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) के लिए एक टिप्पणी गृह मंत्रालय के विचाराधीन है जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सी.सी.ई.ए. की मंजूरी मांगी गई है।

6.11 दिनांक 15 से 18 फरवरी, 2010 तक आर्थिक कार्य विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.एम.ए., विश्व बैंक और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधियों के बीच तकनीकी परिचर्चाएं आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)

6.12 राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना का उद्देश्य भूकम्प सम्बन्धी जोखिम के प्रबंधन सम्बन्धी कमियों को दूर करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नांकित उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य हैं:

- विभिन्न भागीदार समूहों जैसे इंजीनियरों, वास्तुविदों, इंजीनियरिंग कॉलेजों वाले संकाय सदस्य, कार्य–स्थल पर्यवेक्षकों, ठेकेदारों, मुख्य मिस्त्रियों और कारीगरों आदि की कार्य–कुशलता का विकास करना;
- भूकम्प के जोखिम और उससे नुकसान, प्रौद्योगिक–विधिक व्यवस्था, भवन सुरक्षा आदि के बारे में जन–जागरूकता पैदा करना;
- समर्थ प्रौद्योगिक–विधिक व्यवस्था बनाना और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा उसका प्रवर्तन और अनुपालन करना;
- सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और विकास;
- निर्धारित किए गए जिला अस्पतालों की रिट्रोफिटिंग; और
- परियोजना प्रबंधन सम्बन्धी सहायता।

6.13 मैसर्स पी.डब्ल्यू.सी., परामर्शदात्री अभिकरण ने परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.पी.)

6.14 सकारात्मक आपदा–मदद कार्यों के लिए देश को कुशल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता, की आवश्यकता है जो पूर्व चेतावनी और बाद में पूर्वानुमान करने के लिए आवश्यक है। सहायता के माध्यम (आवाज, वीडियो और डेटा) पर्याप्त और उत्तरदायी होने चाहिए। यह कमान और कन्ट्रोल, दोनों के लिए बहुस्तरीय हो जो कार्यान्वयन और पूर्व चेतावनी/पूर्वानुमान में भी सहायक हो।

6.15 एन.डी.एम.ए. ने एक राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना तैयार की है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सकारात्मक आपदा प्रबंधन कार्यकलापों हेतु एक विश्वसनीय, अनुक्रिया–पूर्ण और समर्पित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय, राज्यीय और जिला स्तर पर संकटकालीन प्रचालन केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।
- ग्राम स्तर तक ध्वनि संपर्कता का विस्तार।

- उभयनिष्ठ (कॉमन) सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) स्तर तक डेटा कनेक्टिविटी।
- आपदा स्थल पर संचार की तीव्र बहाली।

6.16 प्राइसवाटरहाउस कूपर्स जिनको एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए परामर्शदात्री अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है, ने परियोजना के लिए मसौदा डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी है।

राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना

6.17 एन.डी.एम.ए. ने देश में बाढ़ से निपटने की तैयारी, प्रशमन तथा प्रबंधन की मजबूती हेतु एक समग्र परियोजना के रूप में एक राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना तैयार की है। राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना का लक्ष्य बाढ़ के विध्वंस और जानों, आजीविका तंत्रों, संपत्ति तथा आधार ढांचे और नागरिक सुविधाओं को हो रही परिणामी हानि को कम करने, बाढ़ के प्रति तैयारी और प्रशमन के मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों की सहायता करना है। फिलहाल, एन.डी.एम.ए., एन.एफ.आर.एम.पी. के डी.पी.आर. की तैयारी हेतु एक शीर्ष परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इस संबंध में, नोडल मंत्रालय को एक हवाला दिया गया है कि जल संसाधन मंत्रालय अपने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की एक अपडेट रखेगा ताकि प्रयासों का दोहराव न हो सके।

6.18 परियोजना के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैं:–

(i) बाढ़ की तीव्रता, जोखिम अथवा बाढ़ के परिणाम में कमी या उनका प्रशमन।

(ii) बाढ़ से निपटने की क्षमता, बाढ़ के लिए प्रभावी संबंधी तैयारी, बाढ़ के खतरे अथवा बाढ़ से निपटने में कार्रवाई में तत्परता, अथवा विभिन्न बाढ़ आपदा से संबंधित असुरक्षा और जोखिम का अनुमान करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आपदा राहत, पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा जागरूकता और तत्परता उत्पन्न करने तथा सलाह देने आदि के लिए संसाधनों और क्षमता को जुटाने के लिए सभी प्रबंध हैं।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना

6.19 इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक भूस्खलन प्रशमन और प्रयासों को मजबूत करना है और उन पहाड़ी जिलों जिनमें भूस्खलन और कीचड़–गाद आदि का बहना होता रहता है, में भूस्खलन के जोखिम और नुकसान को कम करना तथा भूस्खलन में आपदा से उत्पन्न जोखिम को कम करना है।

6.20 एन.डी.एम.ए. परियोजना के डी.पी.आर. की तैयारी के लिए एक शीर्ष परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया में रत है और उसमें परामर्शदाताओं से उनकी रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) मांगी है। जी.एस.आई. ने पाँच स्थलों के नाम प्रस्तुत किए हैं और इनकी सूचना कंसल्टैंसी डेवलपमेंट सेंटर (सी.डी.सी.), नई दिल्ली को दे दी गई है जिसे शीर्ष परामर्शदाता के चयन में सहयोग करने के लिए एन.डी.एम.ए. ने अभिकरण के रूप में आबद्ध किया है।

स्कूली सुरक्षा परियोजना (प्रदर्शन परियोजना)

6.21 स्कूलों में सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2009–10 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम परिकल्पित है जो प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरम्भ किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पढ़ने के लिए एक सुरक्षित शिक्षा वातावरण तैयार करना है। प्रायोगिक परियोजना को उन सभी जिलों में लागू किया जाएगा जो भूकम्प क्षेत्र IV और V में तथा

भारत के असुरक्षित तटीय क्षेत्र में आते हैं। इसके पश्चात् प्रायोगिक परियोजना के दौरान जो सबक सीखा गया, उसके आधार पर एक पूर्णकालिक सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

6.22 इस कार्यक्रम में चेतना और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, आपदा जोखिम प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण, और असुरक्षितता आकलन और प्रशमन विकल्प लेने के आधारभूत घटक शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न प्रयास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए गए हैं। तथापि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संगठित तथा समग्र दृष्टिकोण की योजना बनाने की जरूरत है। योजना आयोग ने वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान क्रियान्वयन हेतु 48.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अब अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और कतिपय प्रतिक्रियाएं भी दी है। इस प्रस्ताव को योजना आयोग की प्रतिक्रियाओं के प्रकाश में तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मृदा कटाव का अध्ययन

6.23 एन.डी.एम.ए. ने ब्रह्मपुत्र नदी से हुए मृदा कटाव पर अध्ययन का कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की को 32, 49, 451/– रुपए की अनुमानित लागत के साथ करने के लिए सौंप दिया है। इस अध्ययन को तीन चरणों में किया जाना है। इस अध्ययन के चरण–1 की परियोजना लागत 13,48,320/– रुपए (कर शामिल) है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्राप्त चरण–1 पर अंतरिम रिपोर्ट को प्रतिक्रियाओं के लिए जल संसाधन मंत्रालय के पास भेजा गया था। जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के पास भेजा गया है।

भारत का मानचित्रकारिता (कार्टोग्राफिक) आधार

6.24 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से देश के विभिन्न भागों में आपदा प्रबंधन और प्रशमन अपेक्षित हैं। ऐसे प्रयासों के लिए मानचित्रों/स्थानिक आंकड़ों की जरूरत है जिसका फिलहाल अभाव है। एन.डी.एम.ए. की प्रमुख समिति की बैठकों में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने भी आपदा प्रशमन और प्रबंधन कार्यकलापों के लिए ऐसे मानचित्रों की जरूरत को महसूस किया। इस संदर्भ में एन.डी.एम.ए. की अधिकार–प्राप्त समिति ने भारत में कार्टोग्राफिक आधार के विकास पर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए एक अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ) कोलकाता को सौंपने के प्रस्ताव की अनुशंसा की। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- एक डी.पी.आर. तैयार करने के लिए:
  - देश में 241 बहु–विपदा प्रवण जिलों के क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, एक चरणबद्ध तरीके से 1 मी० कॉनटूर अवधि सहित 1:10,000 के पैमानों पर एक कार्टोग्राफिक आधार का विकास।
  - शहरों/कस्बों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से चिंता का विषय हैं, हेतु 0.5 मी. कॉनटूर अवधि सहित 1:2,000 के पैमाने पर विस्तृत मानचित्रों को तैयार करना।
- एक न्यूनतम समयावधि में सौंपे गए उपर्युक्त कार्यों की पूर्णता के लिए प्रौद्योगिकीय विकल्पों और प्रक्रम का मूल्यांकन और प्रस्ताव करना।

6.25 राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.), कोलकाता को 3.309 लाख रु. की कुल लागत पर विशिष्ट कॉनटूर अवधि के साथ अपेक्षित पैमाने पर भारत के लिए मानचित्रकारिता आधार का विकास करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए भारत का मानचित्रकारिता (कार्टोग्राफिक) आधार के विकास का कार्य सौंप दिया गया है।

संभावित भूकंपीय खतरा विश्लेषण (पी.एस.एच.ए.)

6.26 एन.डी.एम.ए. ने 58.14 लाख रु. की एक लागत के साथ संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस. ई.आर.सी.), चेन्नई को भारत का संभावित भूकंपीय खतरा विश्लेषण मानचित्र तैयार करने की परियोजना का कार्य सौपा है:

- भूतकालिक प्रयासों की समीक्षा सहित भारत की पी.एस.एच.ए. के लिए एक मानक प्रणालीविज्ञान का वर्णन करने वाले एक मसौदा प्रौद्योगिकी–दस्तावेज (टेक–डॉक) की तैयारी।
- भूकंपीय खतरा विश्लेषण का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तालिका को तैयार करना।
- देश के छह या सात पृथक भूकंपीय रिकार्ड वाले क्षेत्रों के लिए चुनिंदा प्रबल कंपन क्षीणता संबंध का विकास।
- विभिन्न आवृत्ति अवधियों (रिटर्न पीरियडों) के लिए 0.2× 0.2 की ग्रिड पर तल शिला (बेडरॉक) स्तर पर पी.जी.ए. और एस.ए. पर राष्ट्रीय पी.एस.एच.ए. मानचित्र को तैयार करना।

हैदराबाद शहर की बाढ़

6.27 आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद शहर की बाढ़ का एक इतिहास रहा है। प्रारंभिक काल से मूसी नदी जो हैदराबाद के एक बड़े हिस्से में बहने वाली कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और इस ऐतिहासिक पुराने शहर को नए शहर से अलग करती है, हैदराबाद में बाढ़ का कारण है। शहर के मध्य में एक बड़ी हुसैन सागर झील है जिसका पानी उसमें उफान आने के बाद एक नहर के माध्यम से पास की मूसी नदी में चला जाता है। हैदराबाद शहर में 22–23 अगस्त, 2000 को रिकार्ड बारिश हुई। बारिश से हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर आकस्मिक बाढ़ आई। इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, एन.डी.एम.ए. ने अधिकार–प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर हैदराबाद शहर की बाढ़ के संबंध में मानचित्रण, प्रभाव आकलन और प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए 27 लाख रुपए की लागत के साथ जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और ए.एल.टी.एम. डेटा की लागत शामिल नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य दूर–संवेदी अनुप्रयोग केंद्र (ए.पी.एस.आर.एस.ए.सी.) को कार्य सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जहाँ ए.पी.एस.आर.एस.ए.सी./ए.पी.एस.डी.एम.एस. 22 लाख रुपए की राशि को वहन करेगा वहीं 5 लाख रुपए की शेष राशि का वहन एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाएगा।

6.28 इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हैदराबाद शहर में नदी में आई आकस्मिक बाढ़ों और बाढ़ के खतरे का असुरक्षितता मानचित्रण हेतु एक बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल तैयार करना है। इस अध्ययन की सिफारिशों को मौजूदा मास्टर प्लानों के साथ जोड़ा जा सकता है जो बाढ़ की स्थितियों से निपटने में नगर प्रबंधकों/योजनाकारों के लिए मददगार होंगी।

7 सूचना, संचार एवं पूर्व–चेतावनी प्रणालियाँ

आपदा प्रबंधन हेतु संचार सहायता

7.1 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित सूचना और प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली और अपनाई गई प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु पर्याप्त व्यवस्था होना किसी भी आपदा प्रबंधन रूपरेखा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह आपदा घटना चक्र के सभी चरणों नामतः आपदा–पूर्व, आपदा–दौरान और आपदा पश्चात् परिदृश्य के दौरान अपेक्षित है। ध्वनि, आंकड़ा और वीडियो कॉफ्रेंसिंग के साथ ज्ञान आधारित जानकारी को सभी भागीदार अभिकरणों के पास त्वरित और उचित आपदा प्रबंधन कार्रवाई के लिए भेजा जाना अपेक्षित है।

7.2 एन.डी.एम.ए. ने देश में एक प्रतिबद्ध राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन) स्थापना का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है जो अनिवार्यतः, जहां लागू हो, आपदा परिदृश्य के दौरान जिला स्तरीय प्रशासन और दूर–दराज के स्थानों वाले प्रभावित क्षेत्रों के बीच सर्वत्र संपर्कता पर विशेष ध्यान सहित मौजूदा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण रूप से सहायक होगा।

अग्रिम पूर्वानुमान केंद्र का विकास

7.3 इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) की अग्रिम पूर्वानुमान क्षमताओं को (चक्रवात की क्षमता पहचानने सहित उन्नत शीर्ष समयावधि और स्थलावतरण गलत अनुमानों की घटी हुई त्रुटिपूर्ण संख्याओं के साथ) बढ़ाना है। एन.डी.एम.ए. भारत में जल–मौसम विज्ञानी (हाइड्रो–मीटिरियोलोजिकल) आपदाओं के अग्रिम पूर्वानुमान के लिए मॉडलों के प्रथाकरण और अंशांकन पर कार्यरत है। इसमें उचित विषयक ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञ दल द्वारा देश में विभिन्न संस्थाओं के क्षेत्रीय मॉडलों सहित एक से अधिक वैश्विक मॉडल को कार्यान्वित करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सी–एम.एम.ए.सी.एस. और अन्य संस्थानों से लिए गए विशेषज्ञों का एक दल इस परियोजना पर सक्रियता से कार्यरत हैं।

7.4 एक सफल पूर्वानुमान प्रणाली जो महत्त्वपूर्ण समयावधि, संकल्प, यथार्थता आदि के बारे में न्यूनतम मानदंडों को पूरा करती हो, अनुकूल और समग्र प्रबंधन की एक मूल आवश्यकता है। बाढ़, चक्रवात और अन्य खतरनाक मौसमी परिस्थितियों जैसी प्राकृतिक घटनाओं के प्रचालनात्मक पूर्वानुमान का परिक्षेत्र और कुशलता तथापि, मुख्यतः भारत में, अनुकूल और सफल आपदा प्रबंधन के लिए इच्छित स्तर से अभी कम है। पूर्वानुमान में कुशलता में सुधार के लिए उच्चतम स्तर के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय जानकारियों की जरूरत है। इसके अलावा, दिन–प्रति–दिन मौसम पूर्वानुमान में संलिप्त किसी अभिकरण द्वारा ही ऐसे किसी विकासात्मक प्रयास को लागू किया जाएगा। अतः, विभिन्न संस्थाओं और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े समुदायों की उपलब्ध जानकारी, जन शक्ति और अन्य संसाधनों की नेटवर्किंग द्वारा जल मौसम विज्ञानी आपदाओं के लिए पर्याप्त प्रचालनात्मक पूर्वानुमान क्षमता हासिल करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय समुदाय द्वारा महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जाने की अत्यावश्यकता है।

7.5 महत्त्वपूर्ण समयावधि (अत्यधिक बारिश वाली घटनाओं हेतु 48 घंटे उष्णकटिबंधी चक्रवात हेतु 72 घंटे

तक) और उन्नत पूर्वानुमान क्षमता (100 कि.मी. से कम दूरी के लिए 24 घंटों का अचूक भूदर्श) के संबंध में भारतीय मौसम–विज्ञान विभाग की क्षमताओं को सुदृढ़ और उनमें वृद्धि करना मूल उद्देश्य है। परियोजना का कार्य दो चरणों अर्थात् चरण–I और चरण–II में करना प्रस्तावित है। परियोजना के चरण–I की कुल लागत 4.44 करोड़ रुपए है। परियोजना के लिए अवधारणा टिप्पणी को गृह मंत्रालय के पास 'सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए भेजा गया था। गृह मंत्रालय ने अवधारणा टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रियाओं को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास भेज दिया है। यह एन.डी.एम.ए. में विचाराधीन हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) केंद्र आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन.डी.एम.आई.एस.)

7.6 आपदा प्रबंधन और प्रशमन के लिए जरूरी महत्त्वपूर्ण जानकारी जी.आई.एस. डेटा पर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.) की उपलब्धता है ताकि आपदा के दौरान निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों को मदद मिले। दूर संवेदीकरण के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ लेने के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) का एन.आर.एस.सी. हैदराबाद के माध्यम से विकास किया जाना प्रस्तावित है। ऐसा देश के सभी अधिकतम खतरे वाले (एम.एच.पी.) जिलों के लिए डिजिटल बेस मानचित्रों पर महत्त्वपूर्ण आंकड़ों (जनांकिक, स्थलाकृतिक आधारढांचा और सामाजिक–आर्थिक) और खतरों संबंधी आंकड़ों (जल मौसमी–विज्ञानी और भौगोलिक) को अध्यारोपित (सुपरइंपोज) करके किया जाएगा।

7.7. एन.डी.एम.ए. ने जी.आई.एस. आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन.डी.एम.आई.एस.) विकसित करने का प्रस्ताव किया है, जहाँ राष्ट्र के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय समुदाय से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके विभिन्न स्तरों पर सभी अति आधुनिक कार्रवाई–योग्य सूचना के सृजन हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.) के साथ विस्तृत जी.आई.एस. के साथ विभिन्न नोडल अभिकरणों से इकठ्ठा किए गए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। डी.एस.एस. सहित जी.आई.एस. केन्द्र संवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम विश्लेषण करने के लिए महत्त्वपूर्ण डेटाबेस और आपदा–विशिष्ट डेटाबेस अपने पास रखेगा जो कि कार्रवाई केन्द्रित दृष्टिकोण की तुलना में आपदाओं के समग्र और अनुकूल प्रबंधन को लागू करने के लिए अनिवार्य है। एन.डी.एम.आई.एस. में तीन अनिवार्य तत्व होंगे:

- ज्ञानाधारित सूचना।
- आंकड़ों और जानकारी के मौजूदा स्रोतों का एकीकरण।
- सही समय और सही स्थान पर इन आंकड़ों/जानकारी के स्रोतों के प्रसार के लिए अंतर–सम्पर्कता (इंटर–कनेक्टिविटी)।

7.8 प्रस्तावित एन.डी.एम.आई.एस. वास्तविक/वास्तविक सदृश समयावधि में, देश में आपदा/संकटकालीन प्रबंधन की सहायता हेतु आंकड़ों के जी.आई.एस. आधारित भण्डार के रूप में परिकल्पित राष्ट्रीय दूर–संवेदी केन्द्र के साथ सहयोग से गृह मंत्रालय द्वारा पहले से क्रियान्वित राष्ट्रीय संकटकालीन प्रबंधन डेटाबेस पर आधारित होगी।

अपेक्षित पैमानों और समोच्च अवधियों (कॉनटूर इंटरवलों) पर भारत के डिजिटल मानचित्र

7.9 वर्तमान में देश में उपलब्ध मानचित्रण संबंधित आधार 1:50,000 के पैमाने के अधीन है जबकि आपदा प्रबंधन और प्रशमन हेतु जानकारी के लिए मानचित्रों का एक छोटे पैमाने अर्थात्

i) 1:10,000 पैमाना (1.0 मीटर कॉनटूर इंटरवल सहित)।

ii) 1:2,000 पैमाना (0.5 मीटर कॉनटूर इंटरवल सहित) पर होना जरूरी है।

7.10 इन मानचित्रों की जरूरत देश के खतरों वाले 312 जिलों में है। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.), कोलकाता को एन.डी.एम.ए. ने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी.आर) तैयार करने के लिए कहा है। डी.पी.आर. को शीघ्र ही पूरा किए जाने की संभावना है।

खतरा संबंधी मानचित्रण, संवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम आकलन

7.11 भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के बारे में सभी खतरे वाले जिलों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम आकलन कार्य किया जाना है। तथापि, प्रभावी तटीय क्षेत्र प्रबंधन और योजना के लिए, जल मौसम–विज्ञानी खतरों के लिए भी साथ–साथ यह विश्लेषण किया जाना अनिवार्य है। किसी सफल प्रशमन रणनीति या योजनाओं को सोचने से पहले भौतिक परिसंपत्तियों के जोखिम का आकलन और मानचित्रण आधारभूत आवश्यकता है।

7.12 आई.आई.टी. रूड़की, आई.आई.टी, मुंबई, आई. एम.डी., एन.आर.एस.सी., सी.बी.आर.आई. और आर.एम. एस.आई. से विशेषज्ञों का एक कार्य दल इस पर सक्रियता से कार्यरत है और यह परियोजना पूर्णता के निकट है।

बड़े शहरों का माइक्रोजोनेशन–भारत के संभावित भूकंपीय खतरा विश्लेषण मानचित्र का विकास (पी.एस.एच.ए.)

7.13 भारत का वर्तमान भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र प्रेक्षित क्षति पद्धतियों पर आधारित है जहाँ भूकंप के घटने में स्थानिक और कालिक अनिश्चितताएं शामिल नहीं हैं। इन कमियों को पी.एस.एच.ए. के विकास के माध्यम से दूर किया जाना प्रस्तावित है। इसके अध्ययन का कार्य संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस. ई.आर.सी.), चेन्नई को 56.14 लाख रुपए की लागत पर सौंपा गया है।

भारतीय भू–भाग के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्र वर्गीकरण (माइक्रो–जोनेशन) हेतु भू–तकनीकी जाँच

7.14 भूकंपीय माइक्रो–जोनेशन (i) शहरी योजनाकारों को भविष्यगत भूमि उपयोग और भवन, फ्लाई ओवरों, पुलों और अन्य ढांचा निर्माण हेतु, (ii) किए जाने वाले विस्तृत भू–तकनीकी जांच कार्य हेतु व्यावसायिकों को, और (iii) भवन निर्माण संहिताओं के प्रवर्तन हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। भूकंपों के अवलोकित क्षति के नमूने पर आधारित निर्धारक भूकंपीय विश्लेषण का पूर्व दृष्टिकोण धन की बर्बादी और विकास हेतु अनुचित योजना का कारण बनता है। अतः, "भारत में भूकंपीय माइक्रो–जोनेशन हेतु भू–तकनीकी जाँच" पर तकनीकी दस्तावेज तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। इस कार्य को आई.आई.एस.सी., बेंगलुरू के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

अतिरिक्त संकटकालीन कार्रवाई केन्द्रों (ई.आर.सी.) की स्थापना

7.15 आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के साथ, संभावित वैकिरणकी प्रकीर्णन यंत्र (आर.डी.डी.) के विस्फोटों का खतरा परिदृश्य गंभीर चिंता का बड़ा कारण बन रहा है। यद्यपि आर.डी.डी. बड़े पैमाने पर बर्बादी नहीं करते, किंतु वे डर फैलाने और मनोवैज्ञानिक अशान्ति के लिए उच्च क्षमता वाले जन–विध्वंस के हथियार हैं। इसके अलावा, वे पड़ोस में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या और क्षेत्र को संक्रमित कर सकते हैं। एन.डी.एम. ए. द्वारा तैयार किए गए नाभिकीय एवं वैकिरणकी संकट प्रबंधन संबंधित दिशानिर्देशों में तय किया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्थापित 18 विशिष्ट संकटकालीन कार्रवाई केन्द्रों के अलावा, देश के सभी बड़े नगरों में अतिरिक्त संकटकालीन कार्रवाई केन्द्रों को

स्थापित किए जाने की जरूरत है। ये संकटकालीन केन्द्र उचित विकिरण जाँच उपकरणों से लैस होंगे और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये केन्द्र किसी परिवहन दुर्घटना अथवा विकिरण के गुमनाम (आर्फन) स्रोतों से संबंधित दुर्घटना से उत्पन्न संकटों से भी निबटेंगे।

7.16 सामान्यतः विस्फोट स्थल पर सबसे पहले पुलिस पहुँचती है। पुलिस के अपने कार्यक्षेत्र में मॉनीटरिंग और निगरानी कार्य करने के लिए पुलिस के वाहनों को गो/नो–गो टाइप के सर्वेक्षण यंत्रों जैसे सरल विकिरण जाँच मॉनीटरिंग यंत्रों के साथ लैस किया जाना जरूरी होगा। आस–पास की आबादी पर आर.डी.डी. के प्रभाव को बेअसर करने में ये बुनियादी यंत्र पुलिस की मदद करेंगे। ऐसा क्षेत्र की घेराबंदी करके तथा निकटवर्ती विशिष्ट ई.आर.सी./ परमाणु ऊर्जा विभाग के सुविधा केन्द्रों तथा/या एन. डी.आर.एफ. केन्द्रों के विशेषज्ञों के साथ संपर्क द्वारा प्रभावित क्षेत्र के विसंदूषण की व्यवस्था करके किया जा सकता है।

7.17 चरण–I में प्राथमिकता आधार पर 20 लाख या अधिक की आबादी वाले 20 शहरों में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्रों (ए.ई.आर.सी.) की स्थापना करना प्रस्तावित है। तत्पश्चात्, देश में 10 लाख और अधिक वाली आबादी के और 15 बड़े शहरों में भी ए.ई.आर. सी. बनाए जाएंगे। यह परियोजना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से लागू की जाएगी।

8 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण

8.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) ने चुनौतियों से लड़ने के लिए 'सदैव तत्पर और जीवन्त बल' के रूप में अपने को स्थापित किया व अपने कार्यकलापों के लिए एक सुनियोजित रूपरेखा निर्धारित की। एन.डी.आर.एफ. की सभी बटालियनें वर्तमान में गुवाहाटी, कोलकाता, मुण्डली (भुवनेश्वर), अराकोणम (चेन्नई के निकट), पुणे, गांधीनगर, भटिंडा और गाजियाबाद में स्थापित हैं। पटना और विजयवाड़ा में एन.डी.आर.एफ. की दो अतिरिक्त बटालियनों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। (चित्र 8.1)।

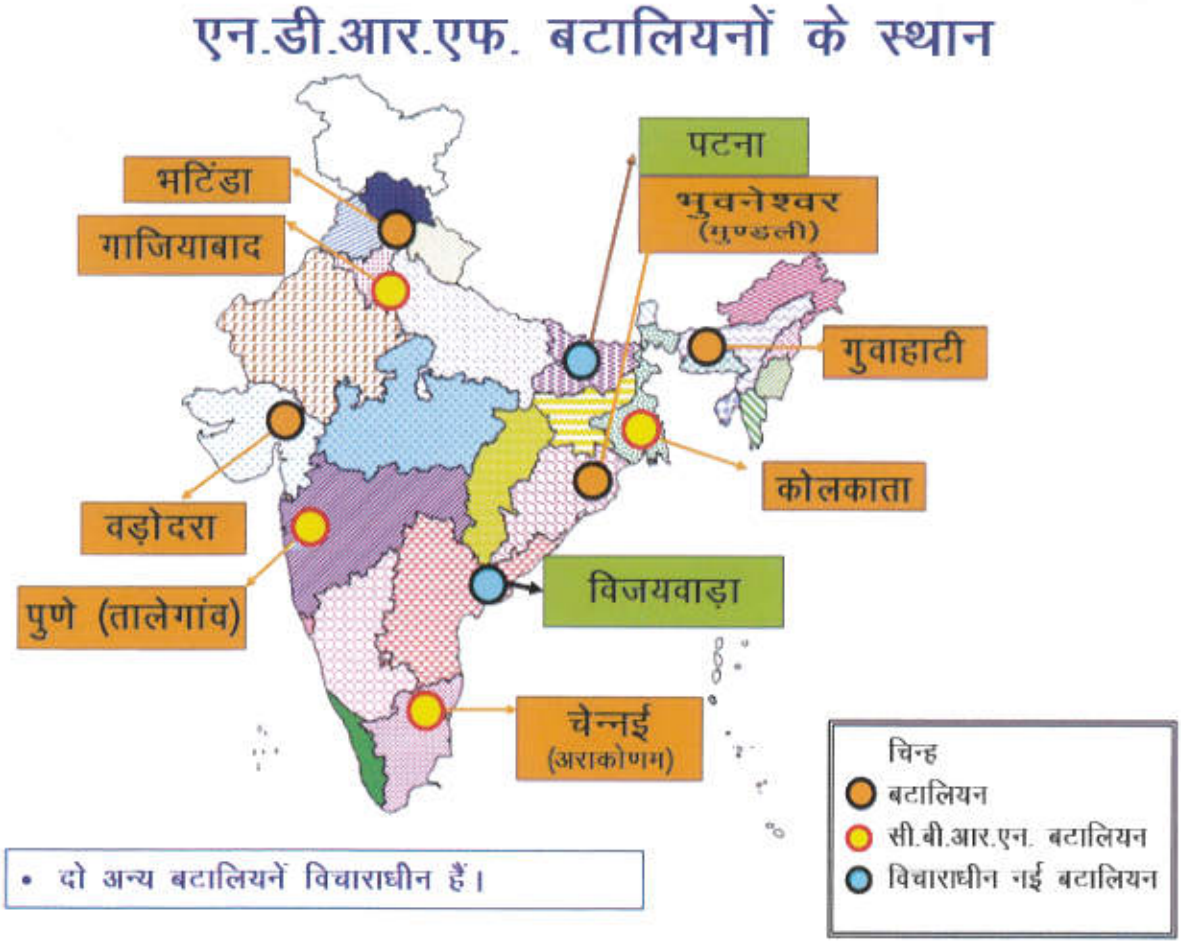

चित्र 8.1

8.2 एन.डी.आर.एफ. ने अपने उच्च कोटि के बचाव अभियानों के माध्यम से अपनी क्षमता को सिद्ध कर दिया है जो उसने बिहार, उड़ीसा तथा असम में बाढ़ के समय किया था। इसके अतिरिक्त एन.डी.आर.एफ. द्वारा समुदाय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भिन्न–2 राज्यों में किए गए जो जनता के सामने आये और आपदा कार्रवाई टीम के रूप में इसकी पहचान उभर कर सामने आई। नीचे दिए गए मानचित्र में उनके उत्तरदायित्व क्षेत्र को दर्शाया गया है (चित्र 8.2)

एन.डी.आर.एफ. बटालियनों का उत्तरदायित्व क्षेत्र

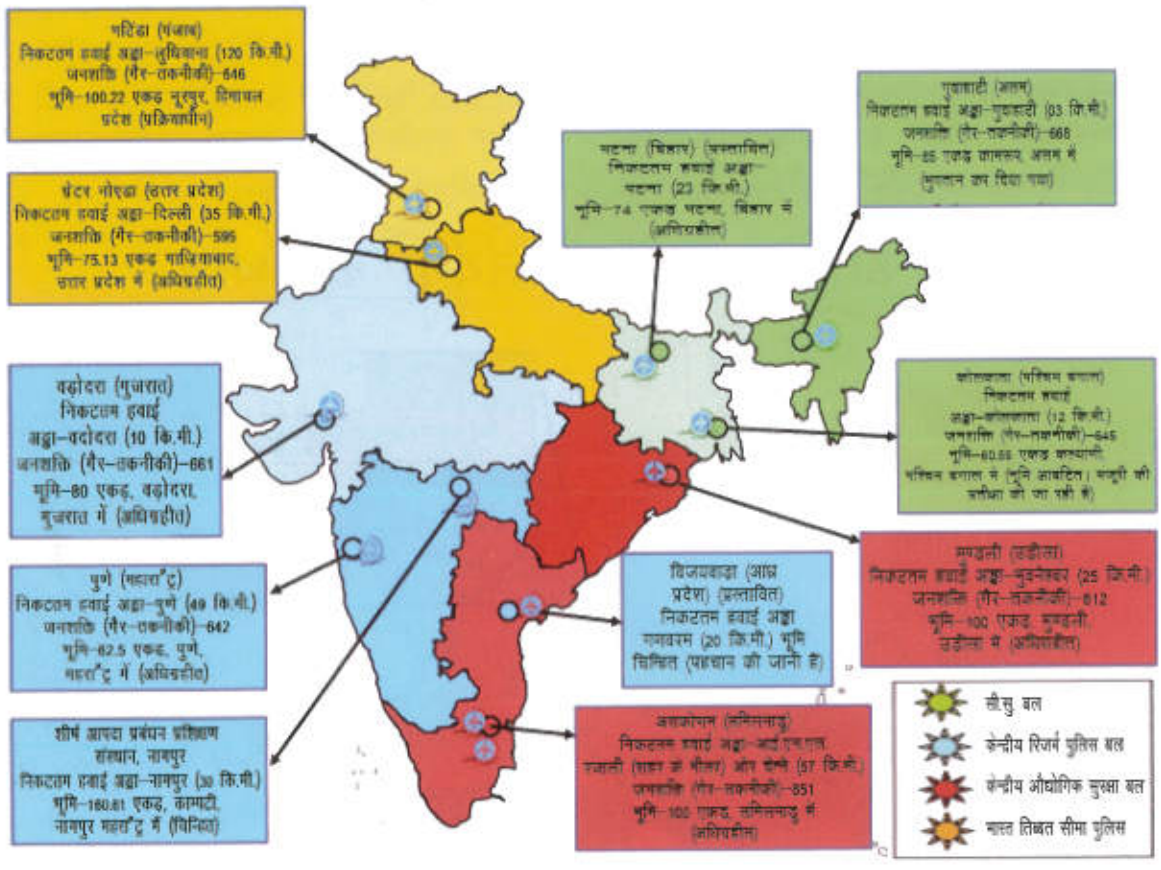

चित्र 8.2

आधारढांचा

भूमि

8.3 एन.डी.आर.एफ. के पास वर्ष 2007–08 तक वड़ोदरा, मुण्डली एवं अराकोणम में पहले से ही भूमि थी, उसे एन.डी.आर.एफ. बटालियनों की स्थापना के लिए पुणे और पटना में भूमि आवंटित की गई। इसके अलावा, गाजियाबाद, नूरपुर और कोलकाता में एन.डी.आर.एफ. बटालियनों तथा खोज और बचाव के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु नागपुर में भूमि के आवंटन की प्रक्रिया जारी रही।

8.4 बिहार, उड़ीसा तथा असम की बाढ़ के दौरान एन.डी.आर.एफ. बटालियनों की तुरंत एवं प्रभावी कार्रवाई

से प्रभावित होकर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से बिहार में एन.डी.आर.एफ. की एक बटालियन को स्वीकृत करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने पटना के पास बिहतर में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 74.47 एकड़ भूमि की भी पेशकश की। उसी समय आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से आंध्र प्रदेश में एन. डी.आर.एफ. की एक बटालियन की स्वीकृति देने का ऐसा ही एक अनुरोध किया तथा इसके लिए भूमि देने की पेशकश की। भारत सरकार ने बिहार (पटना के पास) और आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा के पास) दो और एन. डी.आर.एफ. बटालियन के ढांचागत निर्माण और उनकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार में आगामी मानसून के लिए पूर्व–अधिकृत कार्रवाई के रूप में बिहता (पटना के पास) में तैनाती के लिए एन.डी. आर.एफ. की दो कंपनियों प्रस्तावित हैं।

8.5 भूमि की वर्तमान प्रास्थिति को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

एन.डी.आर.एफ. बटालियन	वर्तमान स्थान	प्रस्तावित स्थान	वर्तमान प्रास्थिति
जिनको पहले ही अधिग्रहीत किया जा चुका है			
पुणे	तालेगांव, पुणे, महाराष्ट्र	पुणे	गांव–सोमबरे, पुणे में 62.5 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई (2009)।
गांधीनगर	गांधीनगर, गुजरात	वड़ोदरा, गुजरात	वड़ोदरा में 80 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई (2008)।
अराकोणम	अराकोणम, तमिलनाडु	–वही–	सी.आई.एस.एफ. के पास पहले से ही 100 एकड़ भूमि उपलब्ध थी जहाँ से यह बटालियन एन.डी.आर.एफ. बटालियन के पास प्रतिनियुक्ति पर आई (1992)।
मुण्डली	मुण्डली, उड़ीसा	–वही–	सी.आई.एस.एफ. के पास पहले से ही 100 एकड़ भूमि उपलब्ध थी जहाँ से यह बटालियन एन.डी.आर.एफ. बटालियन के पास प्रतिनियुक्ति पर आई (2002)।
गाजियाबाद	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद में एन.डी.आर.एफ. के लिए 75.13 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई (2009)।
पटना	पटना, बिहार	–वही–	एन.डी.आर.एफ. के लिए 74 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई (2009)।
आवंटित भूमि और किए गए भुगतान			
गुवाहाटी	पटगांव, गुवाहाटी,	कामरूप, गुवाहाटी	असम सरकार ने पियाबाड़ी, जिला कामरूप में 85 एकड़ भूमि का सीमांकन किया। असम सरकार को 5,76,65,320/– रु. की राशि का भुगतान किया गया। वर्तमान में, बी.एस.एफ. बनाम श्री फूकन राभा और 29 अन्य बनाम असम राज्य के शीर्षक वाली रिट याचिका (सी) 227/228 असम उच्च न्यायालय में लंबित है। संपर्क मार्ग के लिए 3.55 एकड़ भूमि आवंटित करने का एक मामला असम सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

आवंटित भूमि और भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित			
कोलकाता	24 परगना (उत्तर) कोलकाता, पश्चिम बंगाल	कल्याणी, पश्चिम बंगाल	60.55 एकड़ भूमि का मात्र 5,98,74,282/– रु. की राशि पर हरी घंटा, नाडिया (प.बं.) में आवंटन किया गया। प्रस्तावित मामले को स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए पृथक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है।
भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन			
कृष्णा	कृष्णा, आंध्र प्रदेश	कृष्णा, आंध्र प्रदेश	मुख्यमंत्री सचिवालय, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कलक्टर को कृष्णा जिले में एन.डी.आर.एफ. के लिए 100 एकड़ भूमि का स्थान चिन्हित करने के लिए पत्र लिखा है (18 अगस्त, 2009)। एन.डी.एम.ए./एन.डी.आर.एफ. के अधिकारियों की एक टीम जिला कलक्टर द्वारा जगह को तय किए जाने के बाद वहां का दौरा करेगी।
भटिंडा	भटिंडा, पंजाब	नूरपुर, पंजाब	40.56 हेक्टेयर भूमि नूरपुर (हिमाचल प्रदेश) में चिन्हित की गई है। कुल भूमि में से 23.05 हेक्टेयर भूमि वन/सरकारी भूमि है। एन.डी.आर.एफ. बटालियन की स्थापना के लिए इस वन भूमि के विपथन की प्रक्रिया केन्द्रीय वन संरक्षक, चंडीगढ़ के साथ प्रगति पर है। शेष भूमि निजी भूमि है और इस निजी भूमि के लिए अधिसूचना जारी करने का मामला जिला कलक्टर के पास है।
अपेक्स शीर्ष आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	काम्पटी	नागपुर	काम्पटी में 65 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। आवंटन पत्र अभी आना बाकी है।

प्रशिक्षण आधारढांचा

8.6 एन.डी.एम.ए ने नागपुर जैसे केंद्रीय स्थान पर संबंधित एन.डी.आर.एफ. स्थानों के दस आउटरीच सेंटरों के एक नेटवर्क के साथ, खोज और बचाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना परिकल्पित की। नागपुर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण संस्थान (क) खोज एवं बचाव पर अग्रिम प्रशिक्षण, (ख) मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा (ग) प्रशिक्षण योजना, मॉडयूल्स, विषय–वस्तु, प्रबंधन प्रणाली आदि के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यह एन.आई.डीएम. में आपदा प्रबंधन हेतु सार्क केंद्र की अपने क्षेत्रीय कार्रवाई क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता देने के लिए भी उपलब्ध होगा। सरकार ने संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियन स्थलों पर एक राष्ट्रीय खोज एवं बचाव हेतु उत्कृष्टता संस्थान और दस आउटरीच ट्रैनिंग सेंटर कि स्थापना के प्रयोजन के लिए 530 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देना प्रक्रियाधीन है।

8.7 यू.एस.ए.आई.डी. द्वारा प्रायोजित द्विपक्षीय डी.एम.एस. परियोजना के अंतर्गत, एन.डी.एम.ए./एन.डी.आर.एफ. के विशेषज्ञों के एक दल ने 12–24 अक्तूबर, 2009 से संयुक्त राज्य अमरीका में 12 शीर्ष आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थाओं का दौरा किया। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका में शीर्ष आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण तरीकों, आधारढांचा सेटअप, सुविधाएं, उपकरण,

कार्यप्रणाली और प्रबंधन प्रथाओं के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना था जिससे एन.डी.आर.एफ. बटालियन प्रशिक्षण आधारढांचा निर्मित करने में सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण

8.8 प्रशिक्षण हेतु भारत–स्विटजरलैण्ड सहयोग के अंतर्गत 24 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने प्रशिक्षण हेतु भारत–स्विटजरलैण्ड सहयोग (आई.एन.एस.डब्ल्यू.आई.टी.) के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, हैदराबाद में बचाव (यू.एस.ए.आर.) संबंधी प्रशिक्षण में भाग लिया। बी.टी.सी. भानु में केनाइन खोज प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया जिसमें 29 प्रशिक्षकों ने अपने कुत्तों के साथ 30 मार्च–12 अप्रैल, 2009, 24 नवम्बर–02 दिसम्बर, 2009 और 15 से 26 मार्च, 2010 के दौरान भाग लिया।

बी.टी.सी. भानु में स्विटजरलैण्ड के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण।

विदेशी कोर्स/अभ्यास

8.9 एन.डी.एम.ए. ने वर्ष 2009–10 के दौरान एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के लिए निम्नलिखित विदेशी कोर्स/अभ्यासों का आयोजन किया:

- 21–24 अप्रैल, 2009 के दौरान काठमांडू नेपाल में आयोजित आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. एशिया–प्रशांत

काठमांडू, नेपाल में आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. प्रशिक्षण।

यू.एस.ए.आर. भूकंप कार्रवाई अभ्यास में 04 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा कार्रवाई संचालन–कर्ताओं के बीच सहयोग पर फोकस करते हुए, आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समन्वय प्रणालीविज्ञान तैयार करना था।

- श्री आर.सी. मीणा, कमांडेंट, एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गांधीनगर ने 20 अगस्त से 22 सितम्बर, 2009 से होनोलुलु, हवाई (संयुक्त राज्य अमरीका) में एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केन्द्र में आयोजित समग्र संकट प्रबंधन कोर्स में भाग लिया। इस कोर्स का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण विचारधारा, संचार और सहयोग के क्षेत्र में प्रत्येक के लिए ऐसा नेतृत्व विकसित करना था जिसका किसी संकटकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सके।

श्री आर.सी. मीणा सी.सी.एम. कोर्स प्राप्त करते हुए।

मॉंट्रिक्स, स्विटजरलैण्ड में भागीदार।

- दो एन.डी.आर.एफ. अधिकारियों ने 07–08 सितम्बर, 2009 को मॉंट्रिक्स, स्विटजरलैण्ड में आयोजित एक संयुक्त राज्य अमरीका–स्विटजरलैण्ड जैव–आतंकवाद संबंधी टेबलटॉप एक्सरसाइज, ब्लैक आइस 2, में भाग लिया। इस कोर्स का उद्देश्य प्रचालानात्मक स्तरीय कार्रवाईकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्रवाई क्षमताओं से परिचित कराना था।
- श्री के.एम. सिंह, माननीय सदस्य एन.डी.एम.ए. ने श्री आर.के. भाटिया, महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. ने 9–11 नवम्बर, 2009 को बीजिंग, चीन में आयोजित आई. एन.एस.ए.आर.ए.जी. एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 2009 में भाग लिया। इस बैठक का आशय उन अधिकारियों से था जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं और जो कार्रवाई इकाइयों को तैयार करने में आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. दिशानिर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में शामिल हैं।

8.10 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के प्रशिक्षण की प्रास्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

प्रशिक्षण	प्रशिक्षण भागीदार	पहले से प्रशिक्षित	2009–10 में प्रशिक्षित	योग
सी.बी.आर.एन.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय, पुणे, डी.आर.डी.ई., ग्वालियर, सिंगापुर सिविल डिफेंस अकेडमी	2,976	480	3,456
हेली–बोर्न प्रशिक्षण	नहन, गुवाहटी, आगरा और बेंगलूरू में भारतीय वायु सेना	2,700	1,500	4,200
प्राकृतिक आपदाएं	आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. (यू.एन.ओ.सी.एच.ए.) प्रशिक्षण मानक यू.एस.ए.आई.डी.: स्विस विकास निगम, सेटी सोल्यूशंस इंक, ओकाला, क्लोरिडा (संयुक्त राज्य अमरीका) द्वारा प्रशिक्षण हेतु भारत–स्विटजरलैण्ड सहयोग के अंतर्गत पी.ई.ई.आर. कार्यक्रम	5,071	950	6,021
जल में बचाव (वाटर रेस्क्यू)	जीवन रक्षक सोसायटी, कोलकाता, समुद्र अन्वेषक, संस्थान, कोलकाता	3,520	1,600	5,120
विदेश में प्रशिक्षित	विविध कोर्स	54	07	61

आपदा कार्रवाई, सामुदायिक तैयारी और जन चेतना कार्यक्रम

आपदा कार्रवाई

8.11 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मानसून मौसम के दौरान, एन.डी.आर.एफ. बटालियनें देश के विभिन्न भागों में अनेक बचाव और राहत अभियानों में सक्रियता से व्यस्त रहीं। इस वर्ष के जुलाई से सितम्बर माह के दौरान एन. डी.आर.एफ. की मुस्तैदी और उच्च कुशलता से किए गए बाढ़ बचाव अभियानों ने कई जानें बचाईं। इन बचाव कार्रवाईयों का ब्यौरा आने वाले अनुच्छेदों में दिया गया है।

चक्रवात आईला

8.12 25 मई, 2009 को पश्चिम बंगाल के तट पर आईला नामक चक्रवात आया जिसमें हवा की गति 100–110 किलोमीटर प्रति घण्टा और तूफान के कारण उठने वाली लहरें काफी ऊंची थीं (25 फुट)। एन.डी. आर.एफ. ने पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर तेजी से कार्रवाई की और एन.डी.आर.एफ. बटालियन कोलकाता और मुण्डली की 14 टीमों (600 कार्मिक) को बचाव तथा राहत कार्रवाई के लिए 24 परगना उत्तर तथा दक्षिण के प्रभावी क्षेत्रों में तैनात किया गया जिनके साथ 84 नाव लाइफ बॉयज, लाइफ जैकिट, फिशिंग नेट, राहत सामग्री और दवाइयां थी। कार्रवाई के दौरान एन.

चक्रवात के दौरान स्कूली बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए एन.डी.आर.एफ. टीम।

डी.आर.एफ. कार्मिकों ने चक्रवात में फंसे लगभग 2000 लोगों को बचाया जिनमें स्कूल के बच्चे शामिल थे और उनके सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। एन.डी.आर.एफ. टीमों ने राहत सामग्री से भरे हुए 50 ट्रक सामान को प्रभावित लोगों में बांटा। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने इन जिलों के संदेश खली, हिंगलालगंज, हस्नाबाद, सागर द्वीप, नामखाना, पाथर प्रतिमा तथा गोसाबा क्षेत्रों में 30000 चक्रवात पीड़ितों को दवाइयां तथा 16000 बेघर लोगों को खाद्य सामग्री बांटी।

दार्जिलिंग में भूस्खलन

8.13 दार्जिलिंग की पहाड़ियों में हुए भारी भूस्खलन के बाद, 26–26 मई, 2009 की रात को मूसलाधार बारिश की वजह से तीन पहाड़ी उप–प्रभागों में विभिन्न स्थानों पर अनेक घर नष्ट हो गए जिसमें 27 लोग मारे

एन.डी.आर.एफ. टीम दार्जिलिंग में भूस्खलन के बाद मलबा साफ करते हुए।

गए और कइयों को चोट आई। तुरंत ही एन.डी.आर. एफ. बटालियन गुवाहाटी की टीमों को क्षेत्र में तैनात किया गया और 10 जून, 2009 तक टीमों द्वारा खोज तथा बचाव अभियान जारी रखे गए जिसमें सभी प्रभावित क्षेत्रों से मलबे को हटाया गया। आपदा के मौसम के दौरान दार्जिलिंग में एक स्थायी व्यवस्था के रूप में एक एन.डी.आर.एफ. टीम को अब तैनात कर दिया गया है।

बिहार में बाढ़

8.14 01 अगस्त, 2009 को बागमती नदी के मुख्य बांध में आई एक बड़ी दरार (60 मीटर) के कारण बिहार के सीतामढ़ी जिले में रूनीसैदपुर ब्लॉक के 11 पंचायती हिस्सों में बाढ़ आ गई। 53 नावों और अन्य बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन कोलकाता, की सात टीमों (235 कार्मिक) ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा राहत अभियान चलाए। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बाढ़ में फंसे 1,034 लोगों को बचाया और 831 बाढ़ पीड़ितों को दवाएं बांटी।

एन.डी.आर.एफ. कार्मिक बिहार में बाढ़ में फंसे हुए गांववासियों को बचाते हुए।

केरल में बाढ़

8.15 15 जुलाई, 2009 की रात में केरल की सरकार के अनुरोध पर, 40 इनफ्लेटेबल नाव और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन अराकोणम की 08 टीमों (266 कार्मिक) टीमों को हवाई जहाजों के माध्यम से केरल के वायानाद, मल्लापुरम, कालीकट, कसरकोदे, कन्नूर एवं इरनाकुल्लम जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया अगले दिन सुबह से ही, एन.डी.आर.एफ. ने बचाव तथा राहत अभियान शुरू किए और 108 लोगों की कीमती जानों को बचाया। एन.डी.आर.एफ. के इस सराहनीय बचाव कार्य की माननीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रम और केरल के राजस्व मंत्री द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई।

कोरबा, छत्तीसगढ़ में चिमनी गिरने के दौरान किया गया बचाव अभियान

8.16 कोरबा में बाल्को के प्रस्तावित पावर संयत्र में 23 सितम्बर, 2009 को एक निर्माणाधीन चिमनी (100 मीटर ऊंची) ढह गई। राज्य सरकार के अनुरोध पर घटना स्थल पर एन.डी.आर.एफ. बटालियन, मुण्डली की 3 टीम (121 कार्मिक) 25 सितम्बर, 2009 को सड़क मार्ग द्वारा पहुंच गई और उन्होंने खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया। एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों जवानों ने चिमनी के धातु के टुकड़ों को काट कर और मलबा हटा कर 42 शव बरामद किए।

बाल्को, कोरबा में एन.डी.आर.एफ. कार्मिक, धातु का मलबा साफ करते हुए।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़

8.17 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों से 01 अक्तूबर, 2009 को अनुरोध प्राप्त होने पर अराकोणम, पुणे, मुण्डली, ग्रेटर नोएडा और भटिंडा से एन.डी.आर.एफ. की बटालियनों के बाढ़ बचाव दल के 963 जवानों (गोताखोरों, फुलाई जा सकने वाली 308 इनलेटेबल नावों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों समेत) को 02–03 अक्तूबर, 2009 को हवाई जहाज से वहाँ भेजकर आंध्र प्रदेश (कुरनूल, विजयवाड़ा, महबूब नगर और नांदियाल) के चार जिलों में और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित चार–जिलों

कर्नाटक में बाढ़ के दौरान लोगों को बाहर निकालते हुए एन.डी.आर.एफ. कार्मिक।

(बागलकोट, रायचूर, गडाग और बीजापुर) में तैनात किया गया।

8.18 एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों ने दोनों जिलों के बाढ़ प्रभावित जिलों में तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया और करीब 18,659 लोगों के महत्त्वपूर्ण जीवन की रक्षा की। एन.डी.आर.एफ. ने बाढ़ में फंसे लोगों के लिए 40 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न सामग्री तथा पेय जल का वितरण किया तथा बाढ़ पीड़ितों में दवाएं बांटी। एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए उत्कृष्ट बचाव और राहत कार्य की श्री के. रौसेय्या, माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश ने एन.डी.आर.एफ. के उपाध्यक्ष को एक पत्र लिखकर प्रशंसा की।

कोटा, राजस्थान में पुल का गिरना

8.19 25 दिसम्बर, 2009 को राजस्थान के कोटा जिले में चम्बल नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल गिर

कोटा, राजस्थान में एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक गिरे हुए पुल का मलबा हटाते हुए।

गया। राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर गांधीनगर से एन.डी.आर.एफ. बटालियन (43 कार्मिक) की टीम को एस.ए.आर. और गोता लगाने के उपकरणों के साथ 28 दिसम्बर, 2009 को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया। एन.डी.आर.एफ. के जवानों ने धातु के टुकड़ों को काटकर और मलबा हटाकर 11 शवों को बाहर निकाला।

बेल्लारी, कर्नाटक में खोज और बचाव अभियान

8.20 एस.डी.एम.ए. कर्नाटक की मांग पर, एन.डी. आर.एफ. बटालियन, पुणे (100 जवान) के दो विशेषज्ञों के बचाव और राहत दलों को अत्याधुनिक बचाव और राहत उपकरणों सहित 27 जनवरी, 2010 को हवाई जहाज द्वारा बेल्लारी, कर्नाटक में निर्माणाधीन पाँच मंजिली बहुमंजिली इमारत गिरने के घटनास्थल पर ले जाया गया। एन.डी.आर.एफ. के व्यापक और खोज और बचाव प्रयासों के द्वारा 20 व्यक्तियों के जीवन को बचाया गया तथा 27 शवों को बाहर निकाला गया। इस टीम ने मलबे से 09 दिनों के बाद एक जीवित व्यक्ति को भी बचाया।

बेलारी, कर्नाटक में एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक गिरे हुए भवन का मलबा हटाते हुए।

सामुदायिक तैयारी और जन चेतना कार्यक्रम

8.21 किसी आपदा के होने की स्थिति में कार्रवाई और प्रशमन उपायों के साथ समुदाय (प्रथम कार्रवाईकर्त्ता) को तैयार करने के लिए एन.डी.एम.ए. की

सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों को समुदाय पर केन्द्रित किया जाता हैं। एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में मानसून से जुड़ी आपदाओं वाले क्षेत्रों में सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों को जारी रखा ताकि बचाव कार्यों जैसे कि डूबने संबंधी मामलों में जीवन रक्षक तकनीकों, बाढ़ तथा भूकंप आने की स्थिति आदि में ली जाने वाली एहतियातों पर प्रशिक्षण दिया जा सके। इन टीमों ने विभिन्न आपदाओं, त्वरित कार्रवाई और प्रशमन उपायों पर प्रदर्शनों का आयोजन किया।

एन.डी.आर.एफ. की बटालियनों द्वारा समुदाय क्षमता निर्माण और जन चेतना संबंधी राज्य–वार आंकड़े (2008–10)

क्रम सं०	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	गुजरात	147,018
2	पूर्वोत्तर राज्य	93,349
3	महाराष्ट्र	82,735
4	राजस्थान	79,524
5	बिहार	74,095
6	कर्नाटक	31,809
7	हरियाणा	31,349
8	पश्चिम बंगाल	21,086
9	केरल	18,363
10	तमिलनाडु	16,110
11	उत्तर प्रदेश	14,490
12	उत्तराखण्ड	9,946
13	मध्य प्रदेश	9,550
14	हिमाचल प्रदेश	7,440
15	पंजाब	7,060
16	आंध्र प्रदेश	6,345
17	अन्य राज्य	5,412
	योग	**655,681**

8.22 एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा देश के विभिन्न भागों में वर्ष 2009–10 के दौरान आयोजित किए गए क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों में लगभग 410,830 लोगों ने भाग लिया। एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनता, छात्रों, राज्य पुलिस और सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

पुणे विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण

8.23 एन.डी.एम.ए. ने पुणे विश्वविद्यालय के साथ बढ़–चढ़कर कार्रवाई करते हुए छात्रों को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन कैप्सूल में प्रशिक्षण दिया

जिसे पुणे विश्वविद्यालय के 300 शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया जिन्होंने बाद में अपने–अपने कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रथम बैच के लिए पुणे विश्वविद्यालय के 27 शिक्षकों, और 13 महिला शिक्षकों को 9–14 मार्च, 2009 के दौरान तथा अगले बैच के 43 शिक्षकों के लिए जून 22–27, 2009 तक की अवधि के दौरान प्रशिक्षण का आयोजन किया।

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण (एन.ई.पी.ए.)

8.24 एन.डी.एम.ए./एन.डी.आर.एफ. ने पुलिस उप–अधीक्षकों से पुलिस अधीक्षक तक के रैंक के अधिकारियों के लिए 29–31 जुलाई, 2009 के दौरान एन.ई.पी.ए. में आपदा प्रबंधन पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

केरल राज्य के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण

8.25 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, अराकोणम द्वारा 15–18 मार्च, 2010 के दौरान राज्य पुलिस और केरल के कन्नौर जिले के चुनिंदा स्वयंसेवकों के लिए आपदा प्रबंधन में एक 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 12 मास्टर प्रशिक्षकों की बटालियनों के एक दल ने विभिन्न बचाव/जीवन रक्षक तकनीकों, जैसे कि सी.एस.आर., एफ.बी.ए.ओ., आदि पर प्रशिक्षण दिया तथा प्रतिभागियों को अपने बचाव करने के विशिष्ट उपकरणों का प्रदर्शन किया।

एन.डी.आर.एफ. कार्यशालाएं/प्रदर्शनियाँ

8.26 एन.डी.एम.ए. ने पूर्वोत्तर परिषद और मिजोरम सरकार के साथ मिलकर आईजॉल में 11–12, जून, 2009 को आपदा जोखिमों को कम करने पर एक दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन मिज़ोरम के मुख्यमंत्री श्री पु लाल थनहॉला द्वारा किया गया तथा इसमें विधायकों, सिविल और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षण

श्री लालथन हावला, माननीय मुख्यमंत्री, मिजोरम उद्घाटन समारोह के दौरान एन.ई.सी., के सदस्य श्री पी.पी. श्रीवास्तव और एन.डी.एम.ए. के सदस्य श्री के.एम. सिंह के साथ।

संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, युवा संगठनों और प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8.27 दो दिवसीय कार्यशाला का एक महत्त्वपूर्ण भाग, एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गुवाहाटी द्वारा बचाव और राहत कार्यों पर एक प्रभावकारी प्रदर्शन करना था। मिजोरम के राज्यपाल महामहिम ले० जनरल (सेवानिवृत्त) एम.एम. लखेरा इस अवसर पर विशेष अतिथि थे। लगभग 10,000 लोगों जिनमें अधिकांश स्कूलों के छात्र थे, ने इस प्रदर्शन को देखा।

8.28 एन.डी.आर.एफ. बटालियन पुणे ने एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगाई तथा आपदा कार्रवाई संबंधी उपकरणों का प्रदर्शन किया तथा हेली बचाव, गिरे हुए भवनों में खोज तथा बचाव कार्य, गगनचुम्बी इमारतों

आई.आई.टी., मुम्बई में गगनचुंबी इमारत में एन.डी.आर.एफ. के जवान बचाव कार्य करते हुए।

में बचाव कार्य तथा 'डॉग शो' का प्रदर्शन 22–24 जनवरी, 2010 को टेक फेस्टिवल 2010 (आई.आई. टी. मुम्बई का वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समारोह) के दौरान किया। टैक फेस्टिवल–2010 का उद्घाटन जनरल एन.सी. विज, माननीय उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया गया। इस तीन दिवसीय समारोह में 70,000 आगन्तुकों, 15,000 प्रतिभागियों, करीब 2000 कॉलेजों तथा उद्योग और अकादमिक संस्थाओं के लगभग 5000 सदस्यों ने भाग लिया।

8.29 एन.डी.आर.एफ. बटालियन कोलकाता ने "टैक्निका 2010", बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मसेरा के वार्षिक समारोह में भाग लिया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन, बिहार के राज्यपाल, श्री देवानन्द कंवर द्वारा 26 मार्च, 2010 को किया गया। एन.डी.आर. एफ. बटालियन कोलकाता ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें चेतना जगाने के लिए बचाव करने संबंधी अत्याधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित किया। एन.डी.आर.एफ. जवानों ने हेली बचाव, गिरे हुए भवनों में खोज और बचाव कार्य, तथा आगन्तुकों के सामने गगनचुंबी इमारतों में आपदा संबंधी चेतना जागृत करने संबंधी कौशल का प्रदर्शन किया। श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री, बिहार सरकार संपूर्ण कार्यक्रम

टैक्निका 2010 में सुरक्षित बाहर निकालने की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक ।

टैक्निका 2010 के दौरान मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम की प्रशंसा की।

8.30 बिहार राज्य सरकार ने बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान, पटना में 22–24 मार्च, 2010 के दौरान एक बड़े समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया। राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

गांधी मैदान, पटना में एन.डी.आर.एफ. स्टाल के बारे में रुचि रखने वाले दर्शक उसे देखते हुए।

8.31 प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर, एन.डी.आर.एफ. बटालियन, कोलकाता ने आपदा तैयारी पर एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जिसमें विभिन्न खोज और बचाव उपकरणों को प्रदर्शित किया गया ताकि सूचना सामग्री, पर्चों और पैम्फलेटों को वितरित करने के साथ–साथ जनता में बचाव कार्यों के प्रति चेतना जागृत की गई। तीन दिनों के समारोह के दौरान एन.डी.आर.एफ. स्टाल को 50,000 से अधिक लोगों ने देखा।

8.32 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे ने आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, बेंगलुरू में 06–11 फरवरी, 2010 के दौरान ट्रेनर्स कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न राज्यों के 85 स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा उन्हें अनेक जीवन–रक्षक तकनीकों और गगनचुंबी इमारतों से बचाव करना, बाढ़ के पानी से बचाना, एन.

आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, बेंगलुरू के स्वयंसेवकों को एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण देते हुए।

बी.सी. आपात स्थितियों, एम.एफ.आर. और सी.एस.आर. तकनीकों के दौरान संरक्षण और कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया गया।

8.33 वृहत मुम्बई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शिवाजी पार्क, मुंबई में 26–27 फरवरी, 2010 को आयोजित की गई आपदा प्रबंधन पर दो–दिवसीय महाप्रदर्शनी में एन. डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे ने भाग लिया। इस दल ने भूकंप आपदा और भयानक बम–विस्फोट पर कृत्रिम अभ्यास का आयोजन भी किया। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में करीब 50,000 लोगों ने भाग लिया।

तत्पर 2010 के दौरान एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा बचाव कार्य कौशल का प्रदर्शन।

घटना कमान प्रणाली (आई.सी.एस.)

8.34 आपदा प्रबंधन पर कार्रवाई में मौजूदा प्रशासनिक ढांचे, सिविल सोसायटी और इसके विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित है। इन क्रियाकलापों में कार्रवाई करना आपदा के स्वरूप और प्रकार पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि आपदा के समय संसाधनों की कमी होने से इतनी समस्या नहीं होती जितनी समस्या विभिन्न एजेन्सियों के बीच तालमेल की कमी और विभिन्न साझेदारों की भूमिका की स्पष्टता की कमी होने से होती है। यदि कार्रवाई नियोजित हो तथा साझेदार प्रशिक्षित हों, तो किए जाने वाले तदर्थ उपायों के लिए कोई जगह नहीं होगी तथा उस पर की गई कार्रवाई अधिक सरल और कारगर होगी। उद्देश्य है कि अधिकारियों को उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न ड्यूटियों को पहले ही निर्धारित किया गया हो तथा वे अपने–अपने कार्य के लिए प्रशिक्षित हों।

8.35 भारत सरकार द्वारा इस पहलू की महत्ता का महसूस करते हुए वर्ष 2003 में यू.एस.ए.आई.डी. के साथ आई.सी.एस. का सहयोग लेने का निर्णय लिया था। पिछले वर्षों के दौरान इस प्रणाली को क्रियान्वित करने के अनुभव से प्रणाली के स्वदेशीकरण करने की आवश्यकता महसूस होती है अर्थात् इसे हमारे प्रशासनिक ढाँचे और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप करना होगा। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं के अलावा, आई.सी.एस. के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यशालाएं और अनुरूपण कार्रवाई की गईं। एन.डी.एम.ए. ने आई.सी. एस. का नाम बदल दिया है तथा इसे अब भारतीय संदर्भ में घटना कार्रवाई प्रणाली (इंसिडेंट रेस्पांस प्रणाली) से जाना जाता है।

8.36 एक विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन एन.डी.एम.ए., नई दिल्ली में 09 जून, 2009 को घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.) पर दिशानिर्देशों के

प्रारूप पर चर्चा करने के लिए किया गया। देश भर से कुल मिला कर 27 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। देश के विभिन्न राज्यों के साथ–विचार–विमर्श करके क्षेत्रीय कार्यशालाओं से एकत्र किए गए सुझावों और सिफारिशों पर चर्चा की गई। विभिन्न देशों में आई.सी.एस. को अपनाने के बारे में भी जांच की गई। क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशालाओं के दौरान छूटे हुए मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा कर उन्हें शामिल किया गया।

8.37 एन.डी.एम.ए. में विषय–केन्द्रित चर्चाएं और बैठकें की गईं ताकि वर्ष 2009–10 के दौरान भिन्न–भिन्न अवसरों के लिए घटना कार्रवाई प्रणाली पर दिशानिर्देशों के प्रारूप को अन्तिम तौर पर तैयार किया गया। भारत सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न प्रशिक्षण–संस्थानों के विभिन्न विभागों के साझेदारों ने इसमें भाग लिया। विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों की भी इस बैठक में जांच की गई और उन्हें दिशानिर्देशों में शामिल किया गया।

8.38 एन.डी.एम.ए. और राज्य सरकारों, जैसे कि बिहार, तमिलनाडु और असम राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भिन्न–भिन्न अवसरों पर कार्यशाला और चर्चाओं का आयोजन किया गया। इन चर्चाओं के द्वारा इन दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्ण दिशानिर्देशों के अन्तिम स्वरूप पर चर्चा की गई।

आई.सी.एस. चेतना कार्यक्रम

8.39 आपदा प्रबंधन पर एक कैप्सूल पाठ्यक्रम के रूप में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें पुलिस में आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, के उपबंधों, और जिला आपदा प्रबंधन योजना, घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.), तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए एन.डी.आर.एफ. की क्षमताएं शामिल है। इस कैप्सूल कार्यक्रम को एन.डी.एम.ए. के सदस्य श्री जे.के. सिन्हा के नेतृत्व में एन.पी.ए. के अनुरोध पर तैयार किया गया तथा दो वरिष्ठ विशेषज्ञों, ब्रिगेडियर (डॉ०) बी.के. खन्ना और मेजर जनरल वी.के. दत्ता द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया।

8.40 आपदा प्रबंधन पर कैप्सूल पाठ्यक्रम के रूप में एक ऐसा ही प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन किया गया जिसमें संस्थागत और विधिक व्यवस्थाओं पर वर्तमान परिदृश्य, इंसिडेंट रेस्पांस सिस्टम और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए सिविल डिफेंस शामिल है। कुल मिलाकर 03 कैप्सूल पाठ्यक्रम संचालित किए गए तथा 385 अधिकारियों को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस कार्यक्रम में सुग्राही बनाया गया।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

8.41 एन.डी.एम.ए. के सदस्य श्री जे.के. सिन्हा के नेतृत्वाधीन एन.डी.एम.ए. द्वारा एन.सी.सी. को आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य थे (क) एन.सी.सी. कैडेटों में चेतना सृजित करना; (ख) आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता, तलाशी और बचाव तथा अग्नि–शमन उपलब्ध कराना दर्शाना, (ग) आपदा प्रबंधन में एन.सी.सी. कैडेटों को शामिल करना, तथा (घ) खोज और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना।

8.42 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 61,000 एन.सी.सी. कैडेटों को आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षित एन.सी.सी. कैडेटों के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं:

एन.सी.सी. कैडटों का प्रशिक्षण

क्रम सं०	राज्य के नाम	नियमित शिविरों में प्रशिक्षित एन.सी.सी. कैडेटों की संख्या	राष्ट्रीय एकता शिविरों में प्रशिक्षित एन.सी.सी. कैडेटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6000	1800
2.	उत्तर प्रदेश	5000	1200
3.	बिहार	3000	600
4.	पंजाब	2500	1000
5.	हरियाणा	1500	800
6.	महाराष्ट्र	2000	1200
7.	उड़ीसा	1500	600
8.	पूर्वोत्तर राज्य	5000	600
9.	गुजरात	1500	1800
10.	जम्मू और कश्मीर	4000	---
11.	दिल्ली	5000	600
12.	मध्य प्रदेश	1000	1800
13.	राजस्थान	3000	1200
14.	उत्तराखण्ड	2000	---
15.	पश्चिम बंगाल	---	600
16.	केरल	----	1200
17.	कर्नाटक	----	1800
18.	तमिलनाडु	----	1200
19.	नागालैंड	----	600
	योग	**43,000**	**18,000**

अग्नि–शमन सेवाएं

8.43 एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष ने अग्नि–शमन सेवाओं का 13वें वित्त आयोग से पूर्व तत्काल पूर्णतः नवीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप, 13वें वित्त आयोग ने अग्नि–शमन सेवाओं के नवीकरण के संबंध में सकारात्मक निदेश दिए हैं। तदुपरान्त, एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष के निर्देश से और श्री जे.के. सिन्हा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के नेतृत्वाधीन अग्नि–शमन सेवाओं के नवीकरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया। एन.डी.एम.ए. में 22 मार्च, 2010 को इस विषय पर दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में, भारतीय अग्नि–शमन सलाहकार समिति को आमंत्रित किया गया। इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया।

9 विकासात्मक योजनाओं में आपदा प्रबंधन को प्रमुख स्थान देना

9.1 विकास आयोजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को प्रमुख स्थान देने का अनिवार्य अर्थ है कि उस प्रत्येक कार्यकलाप पर बारीकी से नजर रखना चाहिए जिसकी कि योजना बनाई जा रही हो; न केवल उस कार्यकलाप की आपदा के प्रति संवेदनशीलता को कम करना बल्कि खतरे में उस कार्यकलाप के संभावित योगदान को न्यूनतम करना चाहिए। प्रत्येक विकास योजना में प्रभाव आकलन, जोखिम में कमी लाना, और 'किसी को नुकसान न पहुँचे' के दृष्टिकोण के तत्वों को समाविष्ट किया जाना है। यह सुनिश्चित करना लक्ष्य है कि सभी नई बनी इमारतें और निर्माणाधीन इमारतें आपदा के प्रति समुत्थानशील हों और जो पहले ही तैयार की जा चुकी हैं, उनका प्राथमिकता के अनुसार चयनात्मक रूप में पुनरूद्धार किया जाए।

9.2 संपूर्ण विकासात्मक प्रयास में आपदा प्रबंधन के सरोकारों को शामिल करने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में, योजना आयोग ने इस पर सहमति दे दी है कि सभी नई और चालू परियोजनाओं और पूर्ण परियोजनाओं की चुनिंदा जाँच की एक आपदा प्रबंधन संबंधी लेखा–परीक्षा का संचालन किया जाए। इस को अब ई.एफ.सी. में आपदा प्रबंधन लेखा–परीक्षा को शामिल करके और पी.आई.बी. को एक स्व–प्रमाणित भाग के रूप में अंततः अनुमोदित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने अब इस कार्यकलाप के लिए निधिपोषण सुनिश्चित करने और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई जाने के लिए आवश्यक आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए उपायों को समर्थन देने की जरूरत को स्वीकार कर लिया है।

9.3 इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए योजना आयोजन और वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकों का आयोजन किया गया। अंततः, प्रक्रिया को एक औपचारिक रूप दे दिया गया है जिसमें शुरूआत से ही और डी.पी.आर. बनाने की योजना चरण में स्व–प्रमाणन आधार पर आपदा समुत्थानशीलता लेखा–परीक्षा को शामिल किया गया है और उसके बाद लेखा–परीक्षा को सभी नई परियोजनाओं में निष्पादन स्तर पर शामिल किया गया है। इस बारे में, वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा.सं.० 37(4)/पीएफ.II/2003 दिनांक 19 जून, 2009 और का.ज्ञा. सं० 1(9)ई–II(क)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के द्वारा हिदायतें दी हैं कि आपदा समुत्थानशीलता को सभी नई परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा और इस बात को सूत्रीकरण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन–संक्षेप में डी.पी.आर. की तैयारी से लेकर क्लियरेंस तक के सभी चरणों में संशोधित ई.एफ.सी./सी.एन.ई. चेक मीमो के माध्यम से जाँच की जाएगी।

9.4 आपदा प्रबंधन सरोकारों को शामिल करने के लिए 19 जून, 2009 को वित्त मंत्रालय द्वारा ई.एफ.सी. और डी.पी.आर. प्रारूप को संशोधित कर दिया गया है। व्यापक ई.एफ.सी./एस.एफ.सी./सी.एन.ई. टिप्पणी में निम्न बातें शामिल हैः

(i) क्या परियोजना में संरचनात्मक/अभियांत्रिकी वाली परिसंपतियाँ जिनमें भूमि सुधार अथवा मौजूदा भूमि उपयोग योजनाओं में परिवर्तन शामिल हैं, का कोई निर्माण/संशोधन शामिल किया गया है ? यदि हाँ तो आपदा (ओं) (प्राकृतिक एवं मानव–जनित) की रोकथाम और प्रशमन में संलिप्त लागतों को परियोजना लागत में पूरी तरह शामिल किया जाना जरूरी होगा।

(ii) परियोजना क्षेत्र का स्थल कहाँ है ? स्थल चयन के कारण ? क्या संभव विकल्पों पर विचार किया

गया है ? क्या क्षेत्र में परिकल्पित कार्यकलाप सम्बद्ध एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों के उपबन्धों के अनुकूल है ?

(iii) संभव जोखिमों की पहचान करना और परियोजना स्थलों की स्थिति तथा द्वितीयक प्रमाण के कारण आजीविका और भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन का असर का विश्लेषण करना।

(iv) कौन से भूमि उपयोग दिशानिर्देश, विनियम प्रयोज्य हैं ? विनियम में दिए गए उन रोकथाम उपायों की सूची बनाओ जिन्हें संकलित किया जाना है और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) क्या जोखिमों की प्राथमिकता बनाने पर आधारित, संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक, दोनों प्रशमन उपाय किए जा रहे हैं ? यह पक्का करना कि चुनिंदा प्रशमन उपायों के क्रियान्वयन से नए जोखिम उत्पन्न नहीं होंगे।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि इमारतों के डिजाइन और निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, उचित बी.आई.एस. कोड और एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देश पर विचार किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस, सड़क परिवहन मंत्रालय, राजमार्ग और नौवहन नियम पुस्तिका, रेलवे बोर्ड पुस्तिका केंद्रीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी संगठन (शहरी विकास मंत्रालय) नियम पुस्तिका, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नियम पुस्तिका तथा केंद्रीय जल आयोग नियम पुस्तिका आदि जैसे अन्य स्रोतों का भी परामर्श लिया जा सकता है, जहाँ जरूरी हो।

(vii) क्या आपदा प्रबंधन/प्रशमन उपायों कि लागत को पूरी परियोजना लागत में शामिल किया गया है ?

(viii) यह भी निर्देश करें कि जोखिम आंकलन की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध सूचना और द्वितीयक प्रमाण पर आधारित की गई है तथा प्रशमन उपाय सांविधिक और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार है और वर्तमान परिस्थितियों में सर्वाधिक व्यवहार्य है।

9.5 यह प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सभी स्कीमों पर लागू होगी और इसमें इन्दिरा विकास योजना जैसी सभी चल रही स्कीमें भी शामिल होंगी। पुरानी स्कीमों को भी चयनात्मक रूप से दुबारा देखने की योजना बनाई गई है। योजना आयोग ने इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है। उपाध्यक्ष ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपनी सभी परियोजनाओं/योजनाओं में इस प्रक्रिया को शामिल करने के लिए पत्र भी लिखे हैं। इस मामले में राज्यों की प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहवर्धक है। इस प्रक्रिया को आवासीय तथा आधारढांचा क्षेत्र तक आगे ले जाने के लिए, एन.डी.एम.ए. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ दिशानिर्देश जारी करने के लिए पत्राचार कर रहा है ताकि केवल उन्हीं व्यक्तियों/परियोजनाओं जो ये प्रमाण देते हैं कि उनके भवन आपदा समुत्थानशील हैं, को ही ऋण देने पर विचार किया जाए।

9.6 एन.डी.एम.ए. द्वारा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है और यह तय किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन के सरोकार परिलक्षित हों। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी चल रही परियोजनाओं और आगामी परियोजनाओं में भी आपदा समुत्थानशीलता संबंधी लक्षणों को स्थान दिया जाएगा।

9.7 शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भी यह ध्यान रखेगा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. जैसी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों आदि में आपदा प्रबंधन की इन खास बातों को भी शामिल किया जाए।

9.8 आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक उपायों के माध्यम से विकासात्मक आयोजना प्रक्रिया में सदुपयोग किया जाएगा।

संरचनात्मक उपाय

9.9 संरचनात्मक उपायों, में आपदा प्रबंधन सरोकारों का निम्न प्रकार से समाधान किया जाता है:

- आपदा समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन विशेषताओं को बनाने के लिए सभी नई परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- चल रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों के डिजाइन की भी इसी प्रकार लेखा–परीक्षा की जाएगी, और पहले से ही पूरे किए जा चुके परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर आपदा प्रबंधन सरोकारों के समाधान के लिए चयनात्मक आधार पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा।
- आपदा जोखिम में कमी लाने वाले उपायों को भवन निर्माण सहित विकासात्मक कार्यक्रमों आदि में भी शामिल किया जाएगा जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इन्दिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन आदि।

गैर–संरचनात्मक उपाय

9.10 गैर–संरचनात्मक उपायों में विधान तथा अन्य ऐसे प्रपत्र जैसे भवन उपनियम, भूमि उपयोग विनियम शामिल होंगे जिससे एक सक्षम विनियामक माहौल सृजित होगा।

शिक्षा में आपदा प्रबंधन

9.11 शिक्षा पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन सरोकारों के सदुपयोग के प्रयास के रूप में, एन.डी.एम.ए. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सामंजस्य से पहल की है ताकि स्कूल शिक्षा के अलावा अंडरग्रेजुएट विज्ञान तथा मानविकी (ह्यूमैनिटी) कोर्सों तथा मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर कोर्सों में कोर्स के एक हिस्से के रूप में आपदा प्रबंधन के पाठ शामिल रहें। एन.डी.एम.ए. आपदा प्रबंधन में अध्यापकों तथा संकायों के प्रशिक्षण पर भी फोकस करेगा। सर्व शिक्षा अभियान में भी आपदा समुत्थानशीलता के पहलू के सरोकार शामिल होंगे।

9.12 सैकेन्डरी स्कूलों की कक्षा आठ एवं नौ में पढ़ाए जा रहे सामाजिक विज्ञान के विषय में आपदा प्रबंधन पर विशेष अध्याय शामिल हैं। एन.डी.एम.ए. मानव संसाधन विकास विभाग/यू.जी.सी. के साथ संपर्क में है जिसमें उसका मुख्य जोर सभी उच्चतर शिक्षा कोर्सों में आपदा प्रबंधन संबंधी विषयों को जोड़ने पर है। इस बारे में निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया गया:

i. 21 नवम्बर, 2009 को पहली बैठक का आयोजन किया गया। पाँच महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों पर चर्चा की गई।

   क. मानविकी, विधि एवं विज्ञान अंडरग्रेजुएट शिक्षा में आपदा प्रबंधन के विषय को जोडना।

   ख. इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में आपदा प्रबंधन के विषय को जोडना।

   ग. आपदा प्रबंधन पर दूरवर्ती शिक्षा कोर्सों की बैंचमार्किंग।

   घ. चुनिंदा विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए यू.जी.सी. फंडिंग।

ङ. शिक्षकों का प्रशिक्षण। अंडरग्रेजुएट स्तर पर और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए मसौदा पाठ्यक्रम प्रतिक्रियाओं के लिए परिचालित किया गया है।

ii. अगली बैठक का आयोजन 19 नवम्बर, 2009 को किया गया जिसमें इस विषय को ए.आई.सी.टी.ई. के साथ उठाया गया।

iii. अंडरग्रेजुएट कार्यक्रमों में अनुप्रयुक्त विज्ञान के एक विषय के रूप में आपदा प्रबंधन पर ए.आई. सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तावित शिक्षा पाठ्यक्रमों को उच्चत्तर शिक्षा संबंधी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस कोर्स को उचित आंकलन (क्रेडिट) के साथ एक वैकल्पिक कोर्स के रूप में अगले अकादमिक वर्ष में शुरू किया जाएगा।

iv. यू.जी.सी. अगले वर्ष से एक वैकल्पिक कोर्स के रूप में सामान्य शैक्षणिक अंडरग्रेजुएट स्कीम में इस कोर्स को शुरू करने के लिए यथावश्यक संशोधनों के साथ ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को अपनाएगा।

v. हमारे प्रयास के बाद बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के कोर्सों की पढ़ाई में इसे शुरू किया गया है।

vi. लेफ्टिनेंट जनरल भारद्वाज की अध्यक्षता में आई. सी.एम.आर. समिति ने अपने पत्र संख्या एन.डी. एम.ए./जे.आर.बी./10 दिनांक 06 अप्रैल, 2010 के माध्यम से अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट चिकित्सा व्यावसायिकों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम पहले ही भेज दिया है।

10 प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

10.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम (i) नीति, योजना पुनर्वास और पुनर्बहाली प्रभाग, (ii) प्रशमन और क्षमता निर्माण प्रभाग, (iii) आपरेशंस और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग, तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग हैं।

नीति, योजना, पुनर्वास और पुनर्बहाली प्रभाग

10.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजना के अनुमोदन और सभी राज्यों में पुनर्वास और पुनर्बहाली उपायों से जुड़े सभी मामलों का कार्य देखता है। आपदा प्रबंधन का विकास योजनाओं में उपयोग भी इस प्रभाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह प्रभाग पुनर्वास और पुनर्बहाली से संबद्ध कार्यों से निकटता से अंतर्ग्रस्त है और सुनिश्चित करता है कि सभी नए निर्मित परिवेश आपदा समुत्थानशील हों। इस प्रभाग का कुल स्वीकृत स्टाफ 10 व्यक्तियों का है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशमन और क्षमता निर्माण प्रभाग

10.3 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व आपदा विषयों यथा चक्रवात, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और सुदृढ़ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि से संबंधित राज्यों और मंत्रालयों के सामंजस्य से जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर देखना है। यह माइक्रो–जोनेशन, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं को मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों की व्यवस्था भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है।

10.4 क्षमता निर्माण जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखा जाने वाला एक बड़ा विषय है, इस प्रभाग का एक और कार्य है। प्रशमन और क्षमता निर्माण प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने का जिम्मा लिया है और सुनिश्चित करता है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तर पर विद्यमान रहे। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य भागीदार अभिकरणों की संलिप्तता के अलावा, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया, दोनों को शामिल करके चेतना सृजन अभियान की अवधारणा बनाता है और उसे निष्पादित करता है। इस प्रभाग के स्वीकृत स्टाफ की संख्या 20 है जिसमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) और 11 सहायक स्टाफ हैं।

आपरेशंस और संचार प्रभाग

10.5 शीर्ष निकाय के रूप में एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा स्थितियों पर सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहने की स्थिति में होना जरूरी है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप के लिए एन. डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा–विशिष्ट सूचना देने

और आंकड़ा जानकारी सुविधा के लिए एक ऑपरेशंस सेंटर है तथा यह कार्रवाई के आगामी चरणों में भी स्थिति से निपटने के प्रयास में मार्गदर्शन देता है।

10.6 यह एक प्रतिबद्ध और लगातार प्रचालनात्मक अत्याधुनिक संचार व्यवस्था कायम रखने का भी कार्य देखता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विंग के मुख्य संघटक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी. आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर जोर सहित आंकड़ों का सम्मिलन (डेटा फ्यूजन) और ज्ञान प्रबंधन के विशेष संदर्भ वाली आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली हैं। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिसमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर) और 7 सहायक स्टाफ है।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

10.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्य के साथ व्यापक पत्राचार शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार–तंत्र सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक स्टाफ है।

वित्त और लेखा प्रभाग

10.8 वित्त एवं लेखा प्रभाग लेखा का रखरखाव, बजट बनाना, प्रस्तावों की वित्तीय जांच आदि से जुड़े मामले देखता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति का अनुवीक्षण और अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 8 हैं जिसमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर) और 5 सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यकलाप और उत्तरदायित्व का ब्योरा निम्नानुसार है:

- एन.डी.एम.ए. के बजट का आहरण।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर) के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार विभागीय लेखा का रखरखाव।
- कंट्रोल रजिस्टरों के अनुरक्षण द्वारा स्वीकृत अनुदानों की तुलना में किए गए व्यय की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना।
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह।
- स्कीमों के बनने और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों से इनकी प्रारंभिक अवस्थाओं से ही निकटता से संबद्ध रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, मसौदा लेखा–परीक्षा पैराग्राफों आदि का निपटान कार्य देखना।
- लेखा–परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी. ए.सी) और अनुमान कार्य समिति (एस्टिमेट्स कमेटी) की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और रिटर्नों की सामयिक प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

वित्त एवं बजट

10.9 गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में, एन.डी. एम.ए. को अनुदान संख्या 54 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के अधीन वर्गीकृत किया गया है। बजट शीर्षों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

अनुदान संख्या – 54 - गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

(क) राजस्व
(आयोजना–भिन्न)

मुख्य शीर्ष (2245)	- प्राकृतिक आपदाओं पर राहत
उप–मुख्य शीर्ष (80)	- सामान्य
लघु शीर्ष (102)	- प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं
उप–शीर्ष (04)	- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(ख) पूंजी भाग (आयोजना–भिन्न)

मुख्य शीर्ष (4250)	- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
लघु शीर्ष (101)	- प्राकृतिक आपदा
उप–मुख्य शीर्ष (03)	- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(ग) राजस्व (योजना)

एन.डी.एम.ए. की प्रत्येक परियोजना के लिए एक पृथक उप–शीर्ष को निम्नानुसार आवंटित किया गया है:–

02 - राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)

03 - राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)

04 - राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.)

05 - अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

06 - विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)

07 - राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन

14 - राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल

फंड आवंटन और उपयोग

10.10 रिपोर्ट (2009–10) के अधीन अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. का बजट आवंटन (ब.अ.) कुल 88.06 करोड़ रुपए था जिसमें से 40 करोड़ रुपए संगठन की आयोजना स्कीमों/परियोजनाओं के लिए आशयित था और 48.09 करोड़ रुपए को आयोजना–भिन्न बजट के लिए आवंटित किया गया था।

10.11 41.26 करोड़ रुपए (आयोजना–भिन्न) के संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में वास्तविक व्यय 30.59 करोड़ रुपए था।

10.12 आयोजना–भिन्न के अधीन व्यय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित वस्तु शीर्षों के अंतर्गत खर्च किया गया है:–

- वेतन।
- घरेलू यात्रा व्यय (डी.टी.ई.)।
- कार्यालय व्यय (ओ.ई.)।
- अन्य प्रशासनिक व्यय (ओ.ए.ई.)।
- विज्ञापन एवं प्रचार (ए. एंड पी.)।
- व्यावसायिक सेवाएं (पी.एस.)।

10.13 उपर्युक्त आयोजना–भिन्न शीर्षों के अधीन वर्ष 2009–10 के दौरान फंड आवंटन और व्यय को नीचे सारणीबद्ध रूप में दिखाया गया है:

आयोजना–भिन्न शीर्षों में फंड आवंटन और व्यय (वर्ष 2009–10) (लाख रुपए)			
क्रम सं०	वस्तु शीर्ष	आवंटन	व्यय
1.	वेतन	700	493.77
2.	घरेलू यात्रा व्यय	250	158.65
3.	कार्यालय व्यय	500	350.51
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	500	127.02
5.	विज्ञापन एवं प्रचार	1800	1788.40
6.	व्यावसायिक सेवाएं	200	73.57

10.14 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) की तैयारी हेतु बजट अनुमान 2009–10 में आवंटित 40 करोड़ रुपए की कुल राशि को एन.डी.एम.ए. की विभिन्न आयोजना परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार वितरित किया गया :–

		आवंटन
(i)	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)	- 5 करोड़ रुपए
(ii)	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)	- 1 करोड़ रुपए
(iii)	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.)	- 45 करोड़ रुपए
(iv)	विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	- 45 करोड़ रुपए
(v)	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	- 10 करोड़ रुपए
(vi)	राष्ट्रीय बाढ आपदा प्रबंधन	- 4.5 करोड़ रुपए
	योग	**- 40 करोड़ रुपए**

10.15 डी.पी.आर. को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण, सं.अ. 2009–10 में ब.अ. आवंटन को घटाकर 11.30 करोड़ रुपए कर दिया गया। विभिन्न परियोजनाओं के संबध में इन आवंटनों की तुलना में, कुल व्यय आयोजना शीर्षों के अधीन केवल 6.30 करोड़ रुपए था।

लेखा–परीक्षा पैरा

10.16 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 5 लेखा–परीक्षा संबंधी पैरा थे। इन सभी 5 लेखा–परीक्षा पैरा के उत्तर दिए गए और उन्हें आपदा प्रबंधन प्रभाग गृह मंत्रालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जाँच कराने के लिए भेजा गया। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कोई लेखा–परीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

10.17 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में तीन लेखा–परीक्षा संबंधी पैरा हैं। इनको अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

अनुबंध–I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संघटन

1.	डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	जन. एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम., यू.वाई.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	उपाध्यक्ष
3.	लेफ्टि. जन. (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त)	सदस्य
4.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य
5.	डॉ. मोहन कान्डा	सदस्य
6.	प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य
7.	श्रीमति पी. ज्योति राव	सदस्य
8.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	सदस्य
9.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य
10.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य

अनुबंध–II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1. श्री ए.बी. प्रसाद, सचिव (24–07–2009 से)
2. श्री सुनील के. कोहली, वित्तीय सलाहकार (01–08–2008 से)
3. श्री जी. एस. जी. आयंगार, सलाहकार (18–08–2008 से)
4. श्री सुरेश कुमार सेपुरी, सलाहकार (21–08–2008 से)
5. श्री अमित झा, संयुक्त सचिव (27–02–2009 से)
6. श्रीमती सुजाता सौनिक, संयुक्त सचिव (18–12–2009 से)
7. श्री ए. आर. सुले, निदेशक (मार्च, 2006 से)
8. श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सलाहकार (20–02–2009 से)
9. श्री प्रेम कुमार, निदेशक (23–02–2009 से)
10. डॉ. सी. वी. धर्म राव, संयुक्त सलाहकार (20–03–2009 से)
11. श्री आर. के. चोपड़ा, अवर सचिव (14–11–2006 से)
12. श्री पी. ठाकुर, सहायक सलाहकार (01–05–2008 से)
13. श्री जे. सी. बाबू, सहायक सलाहकार (25–09–2008 से)
14. श्री एस. के. प्रसाद, सहायक सलाहकार (01–10–2008 से)
15. श्री ए. के. जैन, सहायक सलाहकार (03–11–2008 से)
16. श्री बुद्ध राम, सहायक वित्तीय सलाहकार (31–12–2008 से)
17. श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक सलाहकार (19–01–2009 से)
18. श्री चंद्र शेखर, अवर सचिव (09–03–2009 से)